[2020] 12 एस. सी. आर. 422

रतन सिंह और हमारा।

वी.

निर्मल गिल एंड ओआरएस। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 3681-3682 2020 आदि)

नवंबर 16,2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

कार्य और दस्तावेज़ः

बिक्री-विलेखों को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए मुकदमे जो वादी के पावर ऑफ अटॉर्नी-धारक द्वारा निष्पादित किए गए थे और वे भी जो

वादी द्वारा स्वयं निष्पादित किया गया-जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जी. पी. ए.) के निष्पादन में धोखाधड़ी का आरोप लगाना और प्रतिवादी ट्रायल कोर्ट में रखे गए ट्रस्ट का दुरुपयोग करके बिक्री विलेख दोनों को खारिज कर दिया पहले अपीलीय न्यायालय ने एक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और दूसरी अपील को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्ष को उलट दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः विवादित

दस्तावेज़ पंजीकृत थे और इसलिए उन्हें वास्तविक माना जाता है यह साबित करने का प्रारंभिक बोझ कि विषय दस्तावेज़ जाली थे या धोखाधड़ी के उत्पाद थे, वादी पर था-वादी प्रतिवादियों द्वारा विश्वास के दुरुपयोग के तथ्यों को साबित करने में विफल रहा-वादी द्वारा यह साबित करने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं दिया गया था कि जी. पी. ए. के साथ-साथ बिक्री विलेख भी उसका प्रतिरूपण करके किए गए थे।

सत्यापित करने वाले गवाह ने बिक्री विलेखों के निष्पादन को साबित कर दिया था, वादी पर प्राथमिक जिम्मेदारी प्रतिवादियों के पास स्थानांतरित नहीं हुई थी

- गवाह, लेखक और अन्य स्वतंत्र गवाहों की गवाही प्रतिवादियों के मामले का समर्थन करती है-चूंकि वादी धोखाधड़ी के अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सका, इसलिए मुकदमों को सीमा द्वारा पूर्व-दृष्टि से वर्जित किया गया था।

संभावित दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील में उसे बाधित नहीं करना चाहिए था, वह भी अनुमानों और अनुमानों पर।

बिक्री विलेख-विक्रेता का हस्ताक्षर-अनिवार्य नहीं है।

प्रमाणः

पंजीकृत दस्तावेज़-साक्ष्य मूल्य-एक दस्तावेज़ को वास्तविक माना जाता है, यदि वह पंजीकृत है।

422 रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस।

प्रमाण का मानक-नागरिक विवादों में संभावनाओं की प्रधानता होती है और यह उचित संदेह से परे नहीं है।

विशेषज्ञ साक्ष्य-विशेषज्ञ राय की प्रकृति एक नहीं है

साक्ष्य का बाध्यकारी टुकड़ा और उनकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

एस. 90- 30 वर्षों पुराना दस्तावेज़ वास्तविक माना जाता है। सीमा अधिनियम, 1963:

एस. 17 – एस का आह्वान करने के लिए। 17 , दो घटकों का अनुरोध किया जाना चाहिए और विधिवत साबित किया जाना चाहिए अर्थात धोखाधड़ी का अस्तित्व और इस तरह की धोखाधड़ी की खोज।

अभ्यास और प्रक्रियाः ऐसे मामलों में अतिसंवेदनशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए जहां

साक्ष्य दर्ज करने में देरी हुई है।

शब्द और वाक्यांशः

" सत्यापित "-का अर्थ, एस के संदर्भ में। 3 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 रिकॉर्ड से पता चलता है कि विवादित दस्तावेज पंजीकृत हैं। यह तय कानूनी सिद्धांत है कि एक दस्तावेज़ है

यदि यह पंजीकृत है तो इसे वास्तविक माना जाता है। [पैरा 32] [446 ए-सी]

प्रेम सिंह और ओआरएस। वी. बीरबल और ओआरएस। (2006) 5 एससीसी

353 [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 692-पर निर्भर।

1.2 निचली अदालत ने वादी पर सबूत का प्रारंभिक बोझ उचित रूप से डाल दिया था क्योंकि यह उसका मामला था कि विषय दस्तावेज़ जाली थे या धोखाधड़ी और अधिक के उत्पाद थे क्योंकि दस्तावेज़ों पर उनके हस्ताक्षर थे। पहले अपीलीय न्यायालय ने उस पहलू पर विस्तार से नहीं बताया। यह मानते हुए भी कि बोझ प्रतिवादियों पर स्थानांतरित हो गया था, प्रतिवादियों द्वारा मृत प्रमाणक गवाह के हस्ताक्षर की पहचान करने वाले गवाह की जांच की गई थी। इसलिए, दस्तावेज़ साबित हो गए और प्रतिवादियों द्वारा बोझ का विधिवत निर्वहन किया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों ने सक्रिय [2020] 12 एस. सी. आर. के अपने पद का दुरुपयोग किया था।

आत्मविश्वास। सबूत के बोझ को स्थानांतरित करने के लिए, केवल यह दलील देने से अधिक की आवश्यकता होगी कि संबंध एक प्रत्ययी संबंध है और इसे ठोस सबूत पेश करके साबित किया जाना चाहिए। [पारस 40 और 41] [448-ई-जी] [449-बी-सी]

अनिल ऋषि बनाम। गुरबख्श सिंह (2006) 5 एससीसी 558: [2006]

1 पूरक। एस. सी. आर. 659 पर भरोसा किया।

1.3 प्रतिवादियों को वादी का सक्रिय विश्वास प्राप्त था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वादी और प्रतिवादी हमेशा

उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वादी मुलाकात की शर्तों पर था।

इसके अलावा, तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या। 3 और 4 संयुक्त भूमि पर खेती कर रहे थे, यह भी विवादित नहीं है। प्रतिवादी सं। 3 और 4 अपने पिता के साथ भूमि पर खेती कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद भी ऐसा करना जारी रखा। वादी प्रतिवादियों द्वारा विश्वास के दुरुपयोग के तथ्य को साबित करने में विफल रहा था। [पैरा 42] [450-एफ-एच]

1.4 इसके अलावा, वादी ने 1990 के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जी. पी. ए.) को एक संदिग्ध दस्तावेज के रूप में पेश करने का प्रयास किया जिसमें कहा गया था कि उसमें पते और निष्पादन की तारीख में बदलाव के संबंध में विसंगतियां थीं। सत्यापित करने वाले गवाह की अनुपस्थिति में और पी. डब्ल्यू. 4-लेखक के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह वादी का काम था कि वह पी. डब्ल्यू. 4 को शत्रुतापूर्ण घोषित करे और यह साबित करने के लिए उससे जिरह करे कि उसने गलत तरीके से गवाही दी थी, जो वादी करने में विफल रहा। [पैरा 43] [450-एच; 451-ए-बी]

1.5 पीडब्लू4 लेखक के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों पर जोर दिया गया था जिसमें 1990 जी. पी. ए. को निष्पादित किया गया था।

बिक्री विलेख से पहले और यह प्रस्तुत किया गया था कि पहले जी. पी. ए. देने और फिर बिक्री विलेख को निष्पादित करने में कोई तर्क नहीं है यदि वादी उपरोक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध था। हालाँकि, वादी के लिए इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि 1990 का जी. पी. ए. उसकी सभी भूमि जोतों के संबंध में था, जबकि बिक्री केवल भूमि के एक हिस्से के संबंध में की गई थी। [पैरा 44] [451-बी-सी] 1.6 1990 के जी. पी. ए. को निष्पादित करने का प्राथमिक कारण यह था कि वादी प्रासंगिक समय पर पंजाब में नहीं रह रही थी और वह बूढ़ी और कमजोर थी, और इस प्रकार पंजाब में स्थित अपनी संपत्ति की देखभाल करने में असमर्थ थी। इस तथ्य पर जोर दिया गया कि एक महिला को उसके स्थान पर नियुक्त किया गया था, इसलिए, अनुमानों और अनुमानों का विषय है। [पैरा 45] [451-सी-ई] रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस।

1.7 यह दलील कि 1990 के जी. पी. ए. के साथ-साथ बिक्री विलेखों का पंजीकरण, वादी का प्रतिरूपण करके किया गया था, साबित नहीं हुआ है। कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है

इस संबंध में नेतृत्व किया गया। [पैरा 46] [451-ई-एफ]

1.8 वादी द्वारा सत्यापित करने वाले गवाहों से परिचित होने से इनकार करना भी एक चाल है और वास्तविक नहीं है। क्योंकि, प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक गाँव का एक लैम्बरदार था। ए.

लैम्बरदार का काम भूमि के संबंध में राजस्व एकत्र करना और रसीदें जारी करना है और एक प्रथा के रूप में, लैम्बरदार को बुलाया जाता है।

दस्तावेजों को प्रमाणित करना। इस प्रकार, जब वादी अक्सर गाँव जाता था, तो उसे जानने से उसका इनकार दूर की बात है। यही दो न्यायालयों की राय थी और एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था। यह दूसरी अपील के दायरे से बाहर है। [पैरा 47] [451-एफ-एच]

सत्य गुप्ता (श्रीमती) उर्फ मधु गुप्ता बनाम। बृजेश कुमार (1998) 6 एससीसी 423: [1998] 3 एस. सी. आर. 1183-पर निर्भर।

नंबर 3. हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 4 ने बयान दिया था कि वह 03.07.1990 पर बिक्री विलेख के निष्पादन के समय मौजूद था जिसे वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 और स्वयं के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उन्होंने कहा कि लैम्बरदार और 'जी' भी मौजूद थे। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही कथित बिक्री विलेख को साबित करने के लिए प्रतिवादियों के लिए कोई उपयोगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें वादी को विचार पारित करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, प्रतिवादी सौंपने के तथ्य को साबित करने में विफल रहे थे

वादी के लिए प्रतिफल राशि। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 4 और डी. डब्ल्यू. 3 ने एक-दूसरे की उपस्थिति से इनकार किया। [पैरा 48,52,53,54,56] [452 डी; 453-ई-जी; 454-जी-एच; 455-ए-बी] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जगदीश चंद शर्मा बनाम। कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से नारायण सिंह सैनी (मृत)। (2015) 8 एससीसी 615:

[2015] 6 एस. सी. आर. 397 पर भरोसा किया।

2.2 ऐसे मामलों में अतिसंवेदनशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए जहां साक्ष्य दर्ज करने में देरी हुई हो। वर्तमान मामलों में, विवादित दस्तावेजों को वर्ष 1990 में निष्पादित किया गया था और डी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य को 17 वर्षों के बीतने के बाद वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने गलती से संदेह किया

डी. डब्ल्यू. 3 का साक्ष्य केवल इसलिए कि वह पहचान नहीं कर सका वादी की तस्वीरें और क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 और डी. डब्ल्यू. 3

फांसी के समय एक-दूसरे की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया। [पैरा 55] [453-जी-एच; 454-एफ-जी]

दामोदर वी. राजस्थान राज्य (2004) 12 एससीसी 336:

[2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 904-पर निर्भर।

2.3 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के तहत 'सत्यापित' की परिभाषा के अनुसार, किसी दस्तावेज के संबंध में 'सत्यापित' का अर्थ है और यह हमेशा दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया माना जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक का चिह्न देखा है या दस्तावेज पर अपना निशान लगाया है. और जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांकित विवादित बिक्री विलेख पर वादी द्वारा विक्रेता के रूप में और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विक्रेता के रूप में और डी. डब्ल्यू. 3 और अन्य प्रमाणक गवाह यानी लैम्बरदार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। डी. डब्ल्यू. 3 ने एक प्रमाणक गवाह के रूप में वादी और प्रतिवादी संख्या 3 दोनों को विलेख पर हस्ताक्षर करते देखा था और फिर उन्होंने बिक्री विलेख को सत्यापित किया था। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह की मृत्यु हो गई है और उसके हस्ताक्षर की पहचान डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 4 द्वारा की गई है, और पी. डब्ल्यू. 4 लेखक की गवाही के साथ, डी. डब्ल्यू. 3 गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की गई है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है।

उपेक्षा की गई। [पारस 57 और 58] [455-बी-जी]

डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही शर्तों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। वैध प्रमाणन के लिए आवश्यक। [पारस 60 और 61] [457-ए-बी; 458 एफ-जी] रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस।

अलोका बोस बनाम। परमात्मा देवी और ओआरएस। (2009) 2 एससीसी

582 [2008] 17 एस. सी. आर. 822-निर्भर।

2.5 चूँकि सत्यापित करने वाले गवाह ने बिक्री विलेखों के निष्पादन को साबित कर दिया था, इसलिए वादी पर प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं थी

अभियुक्तों को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, वादी बाध्य था कि वादी को प्रतिफल राशि के भुगतान के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य का खंडन करें; लेकिन यह भी स्वतंत्र रूप से साबित करना चाहिए था कि उसने प्रतिफल राशि की प्राप्ति नहीं की थी। [पैरा 62] [459-बी-सी]

2.6 यह तय किया जाता है कि सिविल में आवश्यक प्रमाण का मानक

विवाद संभावनाओं की प्रधानता है और उचित संदेह से परे नहीं है। वर्तमान मामलों में, हालांकि 1990 के जी. पी. ए. में विसंगतियां कुछ संदेह पैदा करने के लिए बाध्य हैं, हालाँकि, वादी द्वारा धोखाधड़ी की याचिका का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, यह मामले को आगे नहीं ले जाता है।

बल्कि, वर्तमान मामले में प्रमाणक गवाह, लेखक और अन्य स्वतंत्र गवाहों की गवाही स्पष्ट रूप से मामले का समर्थन करती है।

3.2 वादी के हस्ताक्षर के संदर्भ में वादी द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ साक्ष्य अलग-अलग राय को देखते हुए कोई काम नहीं आता है। यह आधार कि दस्तावेज़ नकल की गई जालसाजी का परिणाम थे, केवल इस आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है - विशेषज्ञ पीडब्लू10 की राय। अन्यथा भी, विशेषज्ञ राय सबूत का एक बाध्यकारी टुकड़ा नहीं है और सबूत के अन्य टुकड़ों के साथ पुष्टि की जानी चाहिए। वादी यह साबित करने में विफल रही कि विषय दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर जाली हैं। [पैरा 65] [459-एफ-जी] [2020] 12 एस. सी. आर.

4.1 धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त करने के बाद वादी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान 1963 के जी. पी. ए. का पता चलने का दावा किया जाता है। निचली अदालत ने स्वीकार किया कि वादी ने 1963 के जी. पी. ए. को निष्पादित किया था और आगे उसे उस जी. पी. ए. के अनुसरण में उत्परिवर्तन की मंजूरी के बारे में जानकारी थी। [पारस 66 और 67] [459-एच; 460-बी-सी]

4.2 1963 जी. पी. ए. एक दस्तावेज है जो 30 साल से अधिक पुराना है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में प्रावधान है -

30 साल पुराने दस्तावेज़ के पक्ष में अनुमान। उपरोक्त प्रावधान 'अनुमान लगा सकता है' शब्दों को नियोजित करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, 30 साल पुराने दस्तावेज़ के पक्ष में अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है। वादी को गलत साबित करने के लिए उचित साक्ष्य का नेतृत्व करके अनुमान का खंडन करने से कुछ भी नहीं रोक सका। चूँकि वादी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए उक्त दस्तावेज़ वादी के लिए बाध्यकारी होगा। वास्तव में, पक्षों ने 1963 से बिना किसी आपत्ति के उक्त दस्तावेज़ की शर्तों पर काम किया था और इसलिए, यह इस दूरी पर फिर से हस्ताक्षर करने के लिए खुला नहीं था।

समय। अतः, विचारण न्यायालय 1963 के जी. पी. ए. को अभिनिर्धारित करने में सही था, एक वास्तविक दस्तावेज़ होना। [पारस 69,70 और 71] [460-ई-एफ; 461 बी-ई]

5.1 चूँकि वादी धोखाधड़ी के अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सका, इसलिए इसका पालन करना चाहिए कि मुकदमे सीमा द्वारा पूर्व-दृष्टि से वर्जित हैं। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17 को लागू करने के लिए दो सामग्री का अनुरोध किया जाना चाहिए और विधिवत साबित किया जाना चाहिए। एक धोखाधड़ी का अस्तित्व है और दूसरा इस तरह की धोखाधड़ी की खोज है। वर्तमान मामले में, चूंकि वादी धोखाधड़ी के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए इसकी खोज के लिए कोई अवसर नहीं है। अतः वादी को उक्त प्रावधान के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता है। [पारस 78 और

81] [464 - एफ-जी; 465-ई]

5.2 विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित सहमतिपूर्ण निष्कर्ष और

पहला अपीलीय न्यायालय-कि दस्तावेजों को वादी द्वारा निष्पादित किया गया था-वादी के मामले को झुठलाता है और ध्वस्त करता है, क्योंकि उसने 2001 में कथित धोखाधड़ी का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने मामले को पलटने में स्पष्ट त्रुटि की।

उस संबंध में विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष। [पैरा 79] [465-ए-सी] रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस।

6. बाद के खरीदारों के शीर्षक के बारे में, जब से

1990 जी. पी. ए. साबित हो चुका है, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने

साक्ष्य की उचित रूप से सराहना की और उस दृष्टिकोण को एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील में और वह भी अनुमानों और अनुमानों पर इसे बाधित नहीं करना चाहिए था। [पारस 82 और 83] [465-एफ-जी]

मामला कानून संदर्भ

[2006] 1 पूरक। एससीआर 692

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[2006] 1 पूरक। एससीआर 659

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[1998] 3 एससीआर 1183

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

[2003] 3 पूरक। एससीआर 904

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[2015] 6 एससीआर 397

उस पर भरोसा करें

पै

रा 59

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 3681

3682 2020 से।

उच्च न्यायालय के 27.05.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 (ओ एंड एम) के आर. एस. ए. सं. 2901 और 2012 (ओ एंड एम) के आर. एस. ए. सं. 3881 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील सं। 3683-3684 2020 से। टी. एस. दोआबिया, सीनियर एड. , दिनेश वर्मा, रजत वर्मा, सुभाशीष

भौमिक, जगजीत सिंह छाबड़ा, सक्षम माहेश्वरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

कैवेटर-इन-पर्सन

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. ये अपीलें सामान्य निर्णय के लिए अपवाद लेती हैं और

चंडीगढ़ 1 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का डिक्री, आर. एस. ए. संख्या में दिनांक 27.05.2019। 2901/2012 और 3881/2012, जिसके द्वारा उच्च

1 संक्षेप में, "उच्च न्यायालय" [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया और वादी के मुकदमों का फैसला सुनाया।

3. सुविधा के लिए, पक्षों को सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), होशियारपुर 2 के न्यायालय के समक्ष सिविल सूट संख्या 11/2001 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाता है। वर्तमान मामलों में स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति यह है कि एक व्यक्ति हरबंस सिंह ने गुरबचन कौर से शादी की थी और शादी में जोगिंदर कौर (वादी-अब मृत) के पिता बने थे। गुरबचन कौर की मृत्यु के बाद, हरबंस सिंह ने पीर कौर से शादी की और उस विवाह में, वह गुरदियाल सिंह (प्रतिवादी संख्या 3), रतन सिंह (प्रतिवादी संख्या 4), नरिंदर पाल सिंह (प्रतिवादी संख्या 5) और सुरजीत सिंह (प्रतिवादी संख्या 6) के पिता बने। हरचरण कौर (प्रतिवादी संख्या 1) प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी और वादी की सौतेली साली है। निर्मल गिल (यहाँ प्रतिवादी) बेटी है और वादी (जोगिंदर कौर) का कानूनी प्रतिनिधि है और चरणजीत सिंह उसका (वादी का) बेटा है।

4. हरबंस सिंह नवांशहर, जालंधर और होशियारपुर में भूमि के विभिन्न हिस्सों के मालिक थे।

वर्ष 1963, वादी, उसके सौतेले भाइयों-प्रतिवादी को सौंपा गया

नं. 3 6 तक और उसकी सौतेली माँ छह बराबर शेयरों में।

5. वादी और प्रतिवादी सं। 3 6 तक के सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वादी अक्सर अपने मातृ गृह जाता था।

6. पक्षों के बीच विवाद एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जी. पी. ए.) से संबंधित है जिसे वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 28.06.1990³ पर निष्पादित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वकील के रूप में निष्पादित बिक्री विलेख। कथित रूप से वादी द्वारा सीधे निष्पादित किए गए 29.06.1990 और 03.07.1990 दिनांकित बिक्री विलेख भी वादी द्वारा विवादित हैं। वादी का मामला यह है कि प्रतिवादियों ने वर्ष में खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर मांगे थे 1990 उनके पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को उनके नाम पर बदलने के उद्देश्य से दस्तावेजों को तैयार करने और संसाधित करने की आड़ में। अपने सौतेले भाइयों पर पूरा भरोसा जताते हुए, वादी ने कागजात पर हस्ताक्षर किए और सौतेले भाइयों-प्रतिवादी संख्या द्वारा उस उद्देश्य के लिए सौंपे गए व्यक्ति को सौंप दिया। 3 6 तक। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने दिल्ली में वादी के वैवाहिक घर का दौरा किया और उसे जून 1990 में कल्याणपुर गाँव आने के लिए कहा ताकि उक्त उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जा सके।

तदनुसार, वादी ने गाँव का दौरा किया और वहाँ 3 या 4 दिनों तक रहा।

2 संक्षेप में, "ट्रायल कोर्ट"

3 संक्षेप में, "1990 जी. पी. ए". रतन सिंह और ओ. आर. एस.।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

7. वर्ष 1999 में अपने पति की सेवानिवृत्ति के बाद, वादी मोहाली चली गई और अपने मातृ गृह के करीब होने के कारण, रिश्तेदारों से उनकी मुलाकात की आवृत्ति बढ़ गई। फरवरी 2001 में जालंधर में एक रिश्तेदार के शादी समारोह में, जहाँ वादी और उसके सौतेले भाई-प्रतिवादी संख्या। 3 6 लोग मौजूद थे, उनके चचेरे भाइयों में से एक रुस्तम सिंह ने उनसे बातचीत में उल्लेख किया था कि प्रतिवादी संख्या। 3 6 ने संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया था जो उन्होंने वादी के साथ संयुक्त रूप से रखा था।

8. उक्त तथ्य के बारे में जानने पर, वादी ने सत्यापित राजस्व रिकॉर्ड सहित उस संबंध में पूछताछ की, जिसके बारे में उसे पता चला

9. दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया कि प्रतिवादी संख्या 3 वादी को गाँव कल्याणपुर बुलाने के लिए दिल्ली गया था। उन्होंने दावा किया कि वादी स्वयं वहाँ आई थी और प्रतिवादी संख्या के साथ रही थी। 3 लगभग एक महीने के लिए 6 तक। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लेखक को उपरोक्त दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया था और उन्होंने विधिवत निष्पादन किया था और उन्हें पंजीकृत कराया था। इसलिए, वादी द्वारा सीधे और साथ ही उसके गठित वकील के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन वैध हैं।

10. इस पृष्ठभूमि में, वादी ने उपरोक्त के खिलाफ 23.04.2001 पर निचली अदालत के समक्ष C. S. No. 11/2001 होने का मुकदमा दायर किया।

प्रतिवादी सं। 1 , 3 6 और 19 अन्य लोगों के लिए, यहाँ के रूप में घोषणा की मांगः

" i, कि जमाबंदी के अनुसार, ग्राम प्रेमगढ़, एच. बी. सं. 247, तहसील और जिला होशियारपुर में स्थित 7 मरला, 2 सरसाही, खेवट सं. 1401, खतौनी सं. 2098, खसरा सं. 6967 (3-5) वाली भूमि का आधा हिस्सा है।

संक्षेप में, "1963 जी. पी. ए". [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 1996-97 के लिए प्रतिवादी सं। 1 प्रतिवादी के पक्ष में वादी के मुख्तार के रूप में नं। 2 वादी के अधिकारों के विरुद्ध अवैध, शून्य और अप्रभावी है और उत्परिवर्तन सं। 13795 65/68 वें शेयर के एक तिहाई हिस्से की सीमा तक यानी 7 मार्लास 2 सरसाही का एक तिहाई हिस्सा अमान्य है और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी है और वादी

उसी से बंधा नहीं है।

i, कि वादी 4 कनाल 13 मरला वाली भूमि में से 9 मरला वाली भूमि का मालिक है।

खेवात सं. 1400, खतौनी सं. 2097, खसरा सं. 2773/694 (011), 2774/694 (0-4), 2775/694 (0-1), 2776/694 (0-1), 2777/695 (0-3), 2778/695 (0-6), 2779/695 (0-8), खेवात सं. 1463, खतौनी सं. 2166 से 2168, प्रेमगढ़, होशियारपुर, एच. बी. में स्थित खसरा सं. 689 (2-19), तहसील और जिला होशियारपुर। वर्ष 1996-97 के लिए जमाबंदी। और प्रतिवादी को प्रतिबंधित करना नं। 1 जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी डी. टी. के आधार पर किसी भी तरह से विवादग्रस्त भूमि को अलग करने या हस्तांतरित करने से। 28.06.90 .

3. यह कि 235 कनाल और 6 मरला की भूमि में से 39 कनाल और 4 मरला की भूमि के संबंध में दिनांकित बिक्री विलेख, कहाटा संख्या से लेकर 67 और खसरा संख्या तक की भूमि में से 1/6 हिस्सा है। 20R/21 (0-14), 21R/24/1 (3-11), 23R/7 (5-11), 8/1 (2-13), 15/1 (1-6), 106/(0-14), 131 (219), 16-R/17 (1-6), 25 (6-18), 16-R/16 (8-0), 17-R/13/2 (6-4), 14/1 (1-0), 21 (8-0), 22 (8-0), 23 (8-0), 24/1 (5-0), 24/2 (2-4), 25 (8)

घोषणा कि वादी विवादग्रस्त भूमि का स्वामी है। संयुक्त कब्जे के वैकल्पिक मुकदमे में। iv, और घोषणा की कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांकित है

28.06.1990 प्रतिवादी सं. द्वारा प्राप्त। 1 उसके पति रतन सिंह की मिलीभगत से प्रतिवादी नं। 4 धोखाधड़ी का परिणाम है और

कि वादी उसी के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन से बाध्य नहीं है। 1 वादी की ओर से रतन सिंह और ओआरएस भी हैं।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अवैध और शून्य हैं और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और प्रतिवादी नहीं। 1 वादी के सामान्य वकील के रूप में कार्य करने की कोई शक्ति नहीं है।

11. जबकि उक्त मुकदमा लंबित था, वादी ने पता लगाया

उसके कथित वकील द्वारा निष्पादित और अधिक दस्तावेजों का अस्तित्व और इस प्रकार निचली अदालत के समक्ष 12.06.2002 पर C. S. No. 173/2002 के रूप में एक और मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 3 , 5 और 6 को प्रतिवादी संख्या के रूप में रखा गया था। 2 क्रमशः 4 और प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इंदर पाल सिंह और राजिंदर कौर, जिन्होंने वादी के कथित वकील के माध्यम से जालंधर में भूखंड खरीदा था, को प्रतिवादी संख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 9 और 10. उक्त वाद में प्रार्थना घोषणा के लिए थी जैसा कि नीचे दिया गया हैः

" आई. कि बिक्री विलेख और उत्परिवर्तन सं। 11395 ज़मीन के बारे में

6 कनाल मापने वाली भूमि से 1 कनाल 6 1⁄2 मार्लास 4

खेवात सं. 602, खतौनी सं. 662, खसरा सं. वाले मार्लास।

85/17 (6-14) प्रतिवादी नं. 11 वादी के पक्ष में वकील के रूप में

प्रतिवादी नं. 8 गाँव बजवाड़ा, एच. बी. नं. 355 में स्थित,

वर्ष 1995 के लिए जमाबंदी के अनुसार तहसील और जिला होशियारपुर

96 अवैध, शून्य है और यह कि वादी उसी से बाध्य नहीं है उसी को निष्पादित किया गया है और अनुपस्थिति में स्वीकृत किया गया है और

वादी की सहमति के बिना।
ii. कि भूमि के संबंध में दिनांकित बिक्री विलेख 03.07.1990

माप 34 कनाल 5 मार्लास खसरा संख्या। 32 - आर/13/3 (2-12), 14 (8-0) , 15/1 (4-16) , 16 (2-10) , 17 (3-11) , 18/1 (1-9) , 12 // 13 / 2 (0-9) , 14/1 (0-9) , 18/2/1 (2-19) , 23 (5-3) , 24/1/1 (5-9) , 24/2/1 (1-2) , 25 / 2 / 1 (0-8) , 12 - R/15/2 (4-18), 16 (8-0), 17/1 (7-13), 18/1/1 (2-8), 25/1/1 (5-16), 13/20 (8-0), 21 (8-0), 22 (8-0), 23/1 (4-12), 27/17/2 (019), 18/1 (1-10), 18/2 (0-19), 23/1 (5-10), 23/2 (1-12), 27/24/1 (1)

14) , 32 // 3 / 2 (5-13) , 4/1 (1-3) , 4/6 (0-2) , 17 // 13 (एक से कम मार्ला), 18// 3 (0-5), 4 (2-16), 5/1 (0-1), 17// 1/1 (3-10), 2/1 (7-6), 3/1 (4 12), 8/2/1 (3-3), 9/1 (0-18), 24/6/2/1 (5-15), 7/1/2 1 (2-5), 14/2 (011), 15/1 (4-18), 25// 8 (0-10), 9 (5-0), 10-2-1 (5-19), 11/1 (

18/2 (4-12) , 19 (8-0) , अर्थात 205 कनाल 9 मार्लास का छठा हिस्सा

गाँव मेहंदीपुर में स्थित, एच. बी. नंबर 46, तहसील दसूया, जिला

वर्ष 1983-84 के लिए जमाबंदी के अनुसार होशियारपुर और

5 संक्षेप में, "बाद के खरीदार" [2020] 12 एस. सी. आर.

वर्ष के लिए जमाबंदी के अनुसार 1994-95 अवैध है, बिना विचार के शून्य है और वादी की अनुपस्थिति में पेश करके निष्पादित किया जाता है।

प्रतिवादी द्वारा अन्य महिला सं। 1 प्रतिवादी सं. के साथ मिलीभगत में। 11 और उसकी पत्नी और वादी उसी से बंधे नहीं हैं और उक्त भूमि के कब्जे में मालिक हैं।

iii. कि प्रतिवादी सं. के पक्ष में बिक्री विलेख। 7 14 कनाल वाली भूमि में से 2 कनाल 10 मरला 18 मरला खेवट संख्या 107, खतौनी संख्या 148, खसरा संख्या 13// 1 (6-18), 14 आर/5 (8-0), अब खेवात संख्या 123 और खतौनी संख्या 140 और

वर्ष 1997-98 के लिए जमाबंदी के अनुसार एक ही खसरा संख्या

प्रतिवादी सं. द्वारा निष्पादित। 11 गांव सरीनपुर, एच. बी. नंबर 139 में स्थित, अवैध, शून्य और वादी की सहमति के बिना है और वादी की अनुपस्थिति में वादी पर धोखाधड़ी करके इसे निष्पादित किया जाता है और वादी उक्त संपत्ति का मालिक है।

iv. कि प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में दिनांकित बिक्री विलेख। 9 प्रतिवादी सं. द्वारा निष्पादित। 11 प्लॉट बेयरिंग के संबंध में नं। 373 आर 1/12 शेयर की सीमा तक जिसके सामने घर नं. 378 - मंगत सिंह और अवतार सिंह के स्वामित्व वाली दूसरी तरफ की जमीन 373-एल है और दूसरी तरफ एच. नं. 372-एल मॉडल टाउन, जालंधर में स्थित मूल चंद भंडारी के स्वामित्व में है

वाद के साथ संलग्न स्थल योजना अवैध, अमान्य और वादी की सहमति के बिना है।

वी. कि प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में 18.03.1996 दिनांकित बिक्री विलेख 21.03.1996 पर पंजीकृत है। 10 प्रतिवादी सं. द्वारा निष्पादित। 11 प्रतिवादी सं. द्वारा मुख्तार के रूप में 1/12 शेयर के संबंध में। 11 अवैध और शून्य है और विचार के बिना और वादी की सहमति के बिना, घर के रूप में बाध्य हैः

एक तरफ 373-एल मंगत सिंह और अवतार सिंह के स्वामित्व में है। मॉडल टाउन, जालंधर में स्थित, संलग्न स्थल योजना में लाल दिखाया गया है।

रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संपत्तियों के संयुक्त कब्जे के लिए वैकल्पिक मुकदमे में

जैसा कि शीर्षक (i) से (iii) में विस्तृत है और यह भी घोषणा करते हुए कि वादी और प्रतिवादी नं। 9 और 10 सह के रूप में संयुक्त कब्जे में हैं

संपत्ति के अंशधारक सं। ((iv) और (v) "।

12. दोनों मुकदमों का प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने विरोध किया। बाद के खरीदारों ने भी सी. एस. सं. 173/2002 में लिखित बयान दाखिल करके मुकदमों का विरोध किया। प्रतिद्वंद्वियों के आधार पर, निचली अदालत ने उपरोक्त मुकदमों में मुद्दों को इस प्रकार तैयार कियाःबनाम ः

सी. एस. सं. 11/2001 में मुद्दे " 1. क्या वादी घोषणा की डिक्री का हकदार है

प्रार्थना की? ओपीडी

2. क्या मुकदमा वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं है? ओपीडी

3. क्या मुकदमा सीमा के भीतर है? ओपीपी

4. राहत "।

सी. एस. सं. 173/2002 में मुद्दे " 1. क्या वादी घोषणा करने का हकदार है जैसा कि प्रार्थना की गई है? ओपीपी

2. क्या वादी द्वारा लगाए गए बिक्री विलेख अमान्य हैं और

4. क्या वादी का मुकदमा विचारणीय नहीं है? ओपीडी 5. क्या वादी का मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है? ओपीडी

6. राहत "।

13. उपरोक्त मुकदमों को एक साथ जोड़ा गया और प्रमुख मुकदमें में सी. एस. नं. 11/2001 होने के सबूत दिए गए। अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, विचारण न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय और दिनांक 03.01.2009 की डिक्री के माध्यम से विवाद के दोनों मुकदमों को खारिज कर दिया।

14. इस निर्णय से व्यथित होकर, वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (तदर्थ), फास्ट (2020) 12 एस. सी. आर. के समक्ष क्रमशः सी. एस. सं. 11/2001 और सी. एस. सं. 173/के विरुद्ध 2009 की सिविल अपील 3 और 4 दोनों को प्राथमिकता दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ट्रैक कोर्ट-I, होशियारपुर। अपीलों के लंबित रहने के दौरान, वादी की अवधि समाप्त हो गई और तब से उसका प्रतिनिधित्व उसके कानूनी प्रतिनिधि निर्मल गिल (प्रतिवादी संख्या 1) ने किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक बार फिर अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना की और विस्तृत विश्लेषण के बाद, भौतिक मुद्दों पर निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए,

इस निष्कर्ष पर कि जामबंदी प्रतिबिंबित करती है, 9 मार्लास की विषय भूमि तक सीमित विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने पर प्रसन्न हूं। वादी का नाम उक्त संपत्ति के कब्जे में सह-मालिक के रूप में दर्ज किया गया है। अंत में, पहले अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" 48. मेरी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

इस हद तक कि अपीलार्थी-वादी 4 कनाल 13 मिस मापने वाली भूमि में से 9 मरला मापने वाली भूमि का स्वामी है। जैसा कि शिकायत के उपशीर्षक नोट (ii) में पूरी तरह से विस्तृत है। इसलिए, इस प्रभाव के संबंध में विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को केवल उलट दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। हालाँकि, एल. डी. द्वारा किए गए शेष निष्कर्षों में इस अदालत के हस्तक्षेप को दर्ज करने के लिए कुछ भी नहीं है। विचारण न्यायालय जो फाइल पर तथ्यों और साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। डिक्री शीट तैयार की जाए। विद्वत निचली अदालत के रिकॉर्ड को वापस किया जाए और अपील फाइल को रिकॉर्ड में भेजा जाए

कमरा "।

हालांकि, पहले अपीलीय न्यायालय ने सम तिथि के एक अन्य फैसले के माध्यम से कुल मिलाकर सी. एस. सं. 172/2002 के संदर्भ में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

15. निर्मल गिल (प्रतिवादी संख्या 1) ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील आर. एस. ए. संख्या 2901/2012 और आर. एस. ए. संख्या 3881/2012 दायर की।

सिविल अपील सं. 3/2009 और सिविल अपील सं. 4/2009 के विरुद्ध। दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने दो प्रश्नों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में तैयार किया। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 1. क्या नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों के निष्कर्ष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ हैं कि धोखाधड़ी का सवाल था

जाहिर है?

2. क्या नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों के निष्कर्ष कानून के तय किए गए प्रावधानों और प्रश्नों के अनुसार हैं

6 संक्षेप में, "पहला अपीलीय न्यायालय" रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कानून और धोखाधड़ी और सीमा का सवाल गलत था

नीचे की अदालतों द्वारा निर्णय लिया गया?

16. तथ्यात्मक मैट्रिक्स और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद, उच्च न्यायालय ने राय दी कि निचली अदालत के साथ-साथ पहले

अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट त्रुटि की और तय की गई कानूनी स्थिति को गलत तरीके से लागू किया। इस निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने दो न्यायालयों की समवर्ती राय को उलट दिया।

17. पीड़ित होने के कारण, प्रतिवादी सं। 1 , 4 6 तक और बाद के खरीदारों ने वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पूर्ववर्ती

[एस. एल. पी. (सी) सं. से उत्पन्न होने वाली अपीलों का समूह। 21326-21327 / 2019] प्रतिवादी संख्या द्वारा वरीयता दी गई थी। 1 , 4 6 तक और बाद वाला [एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न होता है। 29775-29776 / 2019] बाद के खरीदारों द्वारा।

18. प्रतिवादी संख्या के अनुसार। 1 , 4 से 6, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अनुचित था क्योंकि वही नहीं था

विचार किया जाए। गुण-दोष पर, उपरोक्त प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वादी का साक्ष्य आत्म-विरोधाभासी था, क्योंकि उसने पहले दावा किया कि उसके हस्ताक्षर खाली कागजों पर लिए गए थे और फिर 1990 के जी. पी. ए. पर होने वाले उसके हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। यह दलील कि हस्ताक्षर खाली कागज पर लिए गए थे, प्रमाणित नहीं की गई क्योंकि 1990 का जी. पी. ए. स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी 1990 जी. पी. ए. जब 1963 जी. पी. ए. अस्तित्व में था, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि 1963 जी. पी. ए. को हरबंस सिंह के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया था; जबकि 1990 जी. पी. ए. को विशेष रूप से वादी द्वारा वाद संपत्ति में उसके हिस्से के संदर्भ में निष्पादित किया गया था। उच्च न्यायालय ने तब नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वह प्रासंगिक समय पर विदेश में रह रही थी, प्रतिपरीक्षा से बचने के लिए सबूत का नेतृत्व नहीं किया। विशेषज्ञ अरविंद सूद ने वादी के साथ-साथ प्रमाणक गवाह तेजा सिंह लम्बरदार के हस्ताक्षरों की जांच की।

(डी. डब्ल्यू. 7) और उन्होंने राय दी थी कि वही वास्तविक हैं। जहां तक बात है 7 संक्षेप में, "सी. पी. सी".

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1990 के जी. पी. ए. में 875 के बजाय 775 के रूप में गलत तरीके से उल्लिखित वादी का पता, यह तर्क दिया गया कि वादी ने केवल अपने मामले का समर्थन करने के लिए अपना पता देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि वादी 1987 से 1995 तक 775 वर्ष की आयु में रह रहा था। इसके अलावा, वादी के गवाह-पीडब्लू4 ने 1990 के जीपीए के पाठों को वादी को पढ़ा था, जिसने इसकी शुद्धता के बारे में संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर जोड़े थे। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया कि पी. डब्ल्यू. 4 को वादी के वकील को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के कारण शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था। और उसके साक्ष्य की केवल इसलिए अवहेलना की क्योंकि वह प्रतिवादी संख्या 4 के साथ स्कूल गया था। उपरोक्त प्रतिवादियों ने तब आग्रह किया कि वकील के माध्यम से की गई बिक्री के बदले में प्राप्त प्रतिफल का भुगतान विधिवत वादी को दिया जाए। वादी के बेटे चरणजीत सिंह को 5 लाख रुपये के भुगतान के पहलू को निचली अदालत के समक्ष नहीं उठाया गया था। इसके अलावा, अगर वह उक्त नकदी को अपने साथ दिल्ली से पंजाब ले गया था, तो इसका कोई कारण नहीं था कि वह

उसे वापस नहीं ले जा सके। जहां तक बाद के खरीदारों के अधिकारों का संबंध है, यह आग्रह किया गया कि 2001 तक कोई विवाद नहीं था और इसलिए, उपरोक्त खरीदार खरीदने से पहले संदेह नहीं कर सकते थे।

1990 जी. पी. ए. की शुद्धता और वास्तविकता। 1990 का जी. पी. ए. एक पंजीकृत दस्तावेज है और उप-पंजीयक के कार्यालय में इसका सत्यापन करके पूछताछ की गई थी और संतुष्ट होने के बाद ही उक्त भूखंड को विचार के लिए वास्तविक रूप से खरीदा गया था। 20. निर्मल गिल (प्रतिवादी संख्या 1 वादी) द्वारा प्रस्तुत तर्क यह था कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसलों को सही ढंग से उलट दिया था, जो रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के विपरीत और कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि हरबंस सिंह की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या। 3 और 4 वादी की अनुमति से संयुक्त भूमि की खेती कर रहे थे, जो दर्शाता है कि उन्हें वादी का सक्रिय विश्वास प्राप्त था। यह प्रस्तुत किया गया कि वादी ने कभी भी प्रतिवादियों के पक्ष में कोई जी. पी. ए. या बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया था। यह आग्रह किया गया कि 1990 का जी. पी. ए. कई विसंगतियों से भरा हुआ था जो इसे धोखाधड़ी और जालसाजी का उत्पाद साबित करता है। वादी का पता गलत था

1990 के जी. पी. ए. के साथ-साथ डाक टिकट विक्रेता के रिकॉर्ड में 875 के बजाय 775 के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, वादी के निर्देश पर इसे तैयार करने का दावा करने वाला लेखक (पीडब्लू4) वादी की पहचान करने में विफल रहा था।

रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसके अलावा, पीडब्लू4 को प्रतिवादी नंबर 4 अपने स्कूल के दिनों से ही जानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि 1990 के जी. पी. ए. के निष्पादन की तारीख और स्टाम्प पेपर की क्रम संख्या में बदलाव किया गया है। जिससे पता चलता है कि ऐसा ही प्रतिवादियों के अनुरूप किया गया था। 29.06.1990 पर पंजीकृत दस्तावेजों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि पी. डब्ल्यू. 4 ने अपने रजिस्टर में सीरियल नंबर 388 पर बिक्री विलेख और सीरियल नंबर 389 पर प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी दर्ज करने के बाद सीरियल नंबर 390 पर 1990 जी. पी. ए. दर्ज किया था, जो इस कारण की अवहेलना करता है कि वादी ने पहले प्रतिवादी नंबर 389 को जमीन बेची थी। 3 और 4 और फिर संबंध में जी. पी. ए. निष्पादित किया

प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में उक्त भूमि का।

21. तब यह तर्क दिया गया कि सत्यापित करने वाले गवाह प्रतिवादियों के आदमी थे और वादी को पता नहीं था। 1990 के जी. पी. ए. के निष्पादन का कारण उसके पाठों में कहा गया था कि वादी एक महिला होने के नाते संपत्तियों की देखभाल करने में असमर्थ थी और फिर इसे दूसरी महिला, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। वादी की तस्वीर और अंगूठे का निशान भी जी. पी. ए. पर नहीं लगाया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह वादी का प्रतिरूपण करके दर्ज किया गया था। हस्ताक्षर विशेषज्ञ जेसी आनंद (पीडब्लू10) ने कहा था कि हस्ताक्षर नकल की गई जालसाजी का परिणाम थे। बिक्री विलेखों के संबंध में, यह आग्रह किया गया था कि बिक्री विलेखों के मनगढ़ंत होने का प्रमाण यह है कि कथित बिक्री पर विचार कभी भी वादी को नहीं दिया गया था। यह बताया गया कि प्रतिवादियों ने संयुक्त भूमि को गिरवी रखा था

इस तथ्य को उजागर करने के लिए कि उनके पास विचार के लिए भूमि खरीदने के साधन नहीं थे, कई बार वादी की सहमति के बिना क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादियों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि प्रतिफल उनकी मां की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय में से दिया गया था, हालांकि ऐसी किसी भी संपत्ति के अस्तित्व के बारे में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, बिक्री विलेखों का प्रमाणक गवाह वादी की पहचान नहीं कर सका। इसी तरह, बाद के खरीदार भी वादी की पहचान नहीं कर सके। वे यह दिखाने में भी विफल रहे कि 1990 के जी. पी. ए. की वास्तविकता का पता लगाने या वादी से संपर्क करने के लिए प्रयास किए गए थे। उसके सौतेले भाइयों/प्रतिवादियों के विचार का भुगतान उनके अपने नाम पर किया गया था जबकि वादी के विचार का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दिया गया था। प्रतिवादी नंबर 4 ने भी चरणजीत सिंह के पैसे वापस करने की कोशिश की। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित बिक्री के संबंध में वादी की ओर से उसे प्राप्त बिक्री प्रतिफल के रूप में। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 29.06.1990 नहीं हो सकता है

चुनौती दी गई क्योंकि यह उप-पंजीयक कार्यालय [2020] 12 एस. सी. आर. में उपलब्ध नहीं था।

और प्रतिवादियों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। 1963 के जी. पी. ए. को चुनौती नहीं दी जा सकी, क्योंकि यह दस्तावेज़ तीस साल से अधिक पुराना है। वादी और प्रतिवादी सं। 3 6 तक सौहार्दपूर्ण शर्तों पर थे और इसलिए वे वादी के साथ एक प्रत्ययी संबंध में थे, इसलिए, यह साबित करने का बोझ कि किसी भी धोखाधड़ी की उपस्थिति नहीं थी, प्रतिवादियों पर होगा, जिसे वे निर्वहन करने में विफल रहे। 22. हमने श्री टी. एस. दोआबिया, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री जगजीत सिंह छाबड़ा, प्रतिवादी संख्या के विद्वान वकील को सुना है। 1 और 3 से 6, श्री सुभाशीष भौमिक, बाद के लिए विद्वान वकील

खरीदार और निर्मल गिल, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, कानूनी रूप से

वादी का प्रतिनिधि।

23. वर्तमान अपीलों में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं:

1. क्या वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे सीमा के भीतर थे?

2. क्या 1990 के जी. पी. ए. और दिनांक 29.06.1990 और 03.07.1990 के बिक्री विलेखों को वादी द्वारा निष्पादित किया जाना धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम है या क्या इसे स्वयं वादी द्वारा निष्पादित किया गया था?

24. सीमा के प्रश्न में जाने से पहले, हम धोखाधड़ी के मुद्दे और उसके ज्ञान की जांच करना उचित समझते हैं, जो मामले की जड़ तक जाएगा।

I. धोखाधड़ी

25. वर्तमान सूची में धोखाधड़ी कथित रूप से 1990 के जी. पी. ए. के संबंध में की गई है जिसे 28.06.1990 पर निष्पादित किया गया है और 29.06.1990 पर पंजीकृत किया गया है, और बिक्री विलेख क्रमशः 29.06.1990 और 03.07.1990 पर निष्पादित और पंजीकृत किए गए हैं। हम इन दस्तावेजों के संबंध में निष्कर्षों की अलग से जांच कर सकते हैं।

1990 के जी. पी. ए. और दिनांकित बिक्री विलेख के संबंध में धोखाधड़ी

29.06.1990 26. वादी ने दलील दी थी कि प्रतिवादी संख्या 3 अपने पिता के शरीर में परिवर्तन के उद्देश्य से उसे गाँव बुलाने के लिए दिल्ली आया था।

संपत्ति और तदनुसार, वह गाँव गई थी जहाँ प्रतिवादियों ने तैयारी के बहाने खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे उत्परिवर्तन के लिए दस्तावेज़। जब उन्हें 1990 के जी. पी. ए. और बिक्री विलेख के अस्तित्व के बारे में पता चला, तो उन्होंने वास्तव में माना कि उक्त खाली रतन सिंह और ओ. आर. एस.।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कागजों का दुरुपयोग किया गया था। हालाँकि, मुकदमे के दौरान प्रतिवादियों द्वारा मूल जी. पी. ए. को पेश करने पर, उसने दावा किया कि उक्त दस्तावेज़ खाली हस्ताक्षरित कागजात पर नहीं लिखा गया है और इसके बजाय जालसाजी का एक उत्पाद था और पंजीकरण प्रतिरूपण द्वारा किया गया था।

27. यह साबित करने के लिए कि 1990 का जी. पी. ए. उनके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, वादी ने पते के संबंध में विसंगतियों की ओर इशारा किया

और निष्पादन की तिथि में परिवर्तन। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि यदि फांसी का कारण यह था कि वादी एक महिला है, तो यह किसी अन्य महिला के पक्ष में उसे निष्पादित करने के तर्क की अवहेलना करता है। रिलायंस को लेखक (पीडब्लू4) की गवाही पर रखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह निष्पादन के क्रम में अपने रजिस्टर में दस्तावेज दर्ज करेंगे, जबकि 1990 का जीपीए जो कथित रूप से 28.09.1990 पर निष्पादित किया गया था, लेकिन 29.09.1990 के बिक्री विलेख के बाद उनके रजिस्टर में दर्ज किया गया था। वादी ने यह भी दावा किया कि सत्यापित करने वाले गवाह उसे नहीं जानते थे।

28. इसके विपरीत, प्रतिवादी लेखक (वादी के गवाह-पीडब्लू 4) की गवाही पर भरोसा करते हुए आग्रह करेंगे कि उसने (पीडब्लू 4) वादी के निर्देशों के अनुसार उपरोक्त दस्तावेज तैयार किए थे। द. प्रतिवादियों ने हस्ताक्षर विशेषज्ञ (डी. डब्ल्यू. 7) की तुलना में उपरोक्त दस्तावेजों के प्रमाणक गवाहों में से एक, तेजा सिंह लम्बरदार के स्वीकृत हस्ताक्षर प्राप्त किए और उनकी राय पर भरोसा किया। अभियुक्तों ने

उन्होंने आगे कुलतार सिंह (डी. डब्ल्यू. 2) और अवतार सिंह (डी. डब्ल्यू. 4) की गवाही पर भरोसा किया, जिन्होंने तेजा सिंह लम्बेरदार के हस्ताक्षरों की पहचान की।

29. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते हुए पाया था कि वादी 1990 के जी. पी. ए. और दिनांकित बिक्री विलेख के निष्पादन के समय गाँव में मौजूद था। इसके अलावा, वादी के नाम से खरीदे गए स्टाम्प पेपरों पर लिखे गए उल्लिखित दस्तावेजों पर उप-पंजीयक द्वारा किए गए उनके हस्ताक्षर और समर्थन होते हैं। इसके पंजीकरण का प्रमाण। इसलिए, यह वादी का काम था कि वह उन तथ्यों और परिस्थितियों को दर्ज करे जिनके तहत धोखाधड़ी की गई थी। यह देखा गया कि यदि वादी ने उत्परिवर्तन के लिए खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए होते, तो वह इसकी स्थिति के बारे में पूछताछ करती। ट्रायल कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सत्यापित करने वाले गवाहों के हस्ताक्षरों की पहचान की गई और उन्हें साबित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने तब लिपिक (पीडब्लू4) की गवाही का विश्लेषण किया कि उसने वादी के निर्देश पर दस्तावेज़ तैयार किए थे और उन्हें उसे पढ़ा था, और दस्तावेज़ों की शुद्धता को स्वीकार करने के बाद वादी ने उसके हस्ताक्षर किए थे। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि लेखक वादी का अपना गवाह था और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था। इसके अलावा, वादी ने कोई प्रयास नहीं किया [2020] 12 एस. सी. आर.

उसके गवाह (पी. डब्ल्यू. 4) से उसके रजिस्टर में ई. एस. के अनुक्रम के बारे में और 1990 के जी. पी. ए. में विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण, जिसके अनुसार, पी. डब्ल्यू. 4 की गवाही ने वादी के खिलाफ विद्रोह किया। रियाल अदालत ने तब नोट किया कि तेजा सिंह के हस्ताक्षर साबित हुए थेडी. डब्ल्यू. 2, डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 7 ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि 1990 और बिक्री विलेख साबित हुआ। विचारण न्यायालय की पीठ के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

" 48. इसके अलावा, मेरी राय में, अगर वादी के अनुसार, उसने वर्ष 1990 में विरासत के उत्परिवर्तन को मंजूरी देने के उद्देश्य से खाली कागजों पर अपने हस्ताक्षर दिए, तो क्या उसने पूछा कि उसके सौतेले भाइयों से बाद की उन कार्यवाही के बारे में। वादी एक शिक्षित महिला है। वह चीजों को अच्छी तरह से जानती है। फाइल पर ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली कागजों पर अपने हस्ताक्षर देने के बाद, जैसा कि उसने आरोप लगाया है, उसने कभी भी अपने सौतेले भाइयों से उन उत्परिवर्तन कार्यवाही के बारे में पूछने का कोई प्रयास किया। यह इस कारण से अपील नहीं करता है कि वादी इतने लंबे समय तक चुप रहेगा और उन कार्यवाही के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा

प्रतिवादी जब तक वादी के तर्क के अनुसार, उसे वर्ष 2001 में किसी पारिवारिक समारोह में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन के बारे में पता चला।

XXX

XXX XXX

51. ..... मूल पावर ऑफ अटॉर्नी जोगिंदर कौर को दी गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान लेकिन उसने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं करता है

52. यहाँ इस मोड़ पर मैं पीडब्लू 4 बलकार सिंह के बयान का संदर्भ देना चाहूंगा क्योंकि उनके संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विवाद का विषय। पीडब्लू-4 बलकार सिंह तहसील परिसर दसूया में एक विलेख लेखक हैं। यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में

उसने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जोगिंदर कौर वादी और रतन सिंह को जानता है।

53. इस गवाह की प्रतिपरीक्षा भी चर्चा के लिए प्रासंगिक है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है

कि उन्होंने दस्तावेज़ को जोगिंदर कौर के उदाहरण के रूप में लिखा था, अपनी सीट पर पावर ऑफ अटॉर्नी लिखने के बाद, उन्होंने इसे रतन सिंह एंड ओआरएस को पढ़ा।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पक्षकारों और फिर पक्षकारों ने इसे सही स्वीकार करने के बाद सत्यापित करने वाले गवाहों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जोगिंदर कौर उनकी उपस्थिति में वादी हैं। उसके हस्ताक्षर अंग्रेजी में करें। .....

XXX

XXX XXX

64. इसके अलावा वादी के विद्वान वकील ने यह मुद्दा उठाया कि जब वादी ने 29.06.1990 पर पंजीकृत दिनांक 28.06.1990 के पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन को स्वीकार नहीं किया था, तो प्रतिवादी को इस दस्तावेज़ के प्रमाणित करने वाले गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता थी और किसी भी प्रमाणित करने वाले गवाहों से पूछताछ न करने की स्थिति में, प्रतिवादियों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। फिर इस मोड़ पर विद्वान बचाव पक्ष के वकील ने यह मुद्दा उठाया कि मूल वकील दिनांक 28.06.90 का गवाह तेजा सिंह लम्बरदार और गाँव लुडियानी के निवासी ज्ञान सिंह के बेटे गुरचरण सिंह थे। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि तेजा सिंह लम्बरदार की तब से मृत्यु हो गई थी। प्रतिवादी ने डी. डब्ल्यू. 2 कुलतार से पूछताछ की

सिंह जिन्होंने इस प्रभाव से अपदस्थ किया कि बिक्री विलेख दिनांकित था

25.01.1984 Ex. डी. डब्ल्यू. 3/ए. को फांसी दी गई और तेजा सिंह लम्बरदार उसी के प्रमाणक गवाहों में से एक थे। इसी तरह, कुलतार सिंह डी. डब्ल्यू. 2 जो बिक्री विलेख एक्स के निष्पादकों में से एक थे। डी. डब्ल्यू. 3/ए ने उनके हस्ताक्षर के साथ-साथ तेजा के हस्ताक्षर की पहचान की है। सिंह लम्बरदार ने पूर्व दिनांकित बिक्री विलेख पर। डी. डब्ल्यू. 3/ए और डी. डब्ल्यू. 4 अवतार सिंह ने दिनांक 24.12.1981 एक्स. के बिक्री विलेख पर तेजा सिंह लम्बरदार के हस्ताक्षरों की पहचान की थी। उर्दू लिपि में डी. डब्ल्यू. 2/ए। डी. डब्ल्यू. 5 गुरदियाल सिंह ने अपदस्थ कर दिया कि उन्होंने भाग सिंह के बेटे तेजा सिंह से 15 कनाल 7 मरला की जमीन खरीदी और तेजा सिंह विक्रेता गांव कल्याणपुर का लैम्बरदार था और उन्होंने पूर्व के दिनांक वाले बिक्री विलेख पर उनके हस्ताक्षर की पहचान की। डी5 और उन्होंने आगे यह मुद्दा उठाया कि डी. डब्ल्यू. 7 अरविंद सूद

प्रतिवादियों के हस्त लेखन विशेषज्ञ की तुलना की गई

उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों पर और उनकी रिपोर्ट एक्स में दिखाई देने वाले इन हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 28.06.1990 के पावर ऑफ अटॉर्नी पर उपस्थित तेजा सिंह के हस्ताक्षर। डी. डब्ल्यू. 7/ए. ने कहा कि प्रश्न किए गए हस्ताक्षर और साथ ही विवादित हस्ताक्षर इनमें से एक के हैं।

एक ही व्यक्ति।

30. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के विज्ञापन से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि साक्ष्य के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि 1990 को वादी द्वारा निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, बेतरतीब प्रविष्टियाँ [2020] 12 एस. सी. आर. की गईं।

लेखाकार का कोई लाभ नहीं होगा, बहुत कम यह पंजीकृत दस्तावेजों को गलत साबित नहीं करेगा। इसके अलावा, प्रतिवादियों पर लिपिक के कार्यों का बोझ नहीं डाला जा सकता है, जो वादी का गवाह था।

31. निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को उलटते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि वादी बिक्री विलेखों के निष्पादन के लिए उपलब्ध हो सकता है, तो यह अथाह है कि वादी ने कभी भी जी. पी. ए. को निष्पादित किया होगा। इसने आगे कहा कि पीडब्लू 4 की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह प्रतिवादी नंबर 4 को अपने स्कूल के दिनों से जानता था। यह देखा गया कि 1990 के जी. पी. ए. को निम्नलिखित शब्दों में धोखाधड़ी द्वारा निष्पादित किया गया प्रतीत होता है:

" वर्तमान मामले में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सामान्य शक्ति

दिनांकित 28.06.1990 के वकील में एक पाठ है कि इसे वादी द्वारा निष्पादित किया जा रहा है क्योंकि वह एक महिला होने के नाते भूमि के मामलों को देखने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, यह सभी संभावनाओं और सामान्य ज्ञान के खिलाफ है कि वकील को एक अन्य महिला हरचरण कौर के पक्ष में फांसी दी जाती, जो कोई और नहीं बल्कि वादी के सौतेले भाई रतन सिंह की पत्नी है। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करना पड़ता, तो यह स्वयं भाई के पक्ष में होता। यह समझना मुश्किल नहीं है कि वादी-जोगिंदर कौर, जो अपनी पहली शादी से हरबंस सिंह की संतान थी, अपने चार सौतेले भाइयों को अपने माता-पिता का परिवार मानती थी। यह स्वाभाविक है कि वह हमेशा अपने सौतेले भाइयों, विशेष रूप से अपने सौतेले भाइयों के माध्यम से अपने पिता से उस संबंध को जीवित रखने के लिए उनकी ओर देखती थी।

जैसा कि उसके साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार किया गया था, जाहिर है कि उनके द्वारा उस पर विचार किया गया था, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट हैं। यह विशेष रूप से उस समय विशेष रूप से प्रचलित सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है। प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि वादी अपने सौतेले भाइयों के साथ संपर्क बनाए रखती थी और अक्सर उनसे मिलने जाती थी और उनके साथ रहती थी। उक्त प्रतिवादियों की धोखाधड़ी की मंशा और बेईमान योजना स्पष्ट है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य से आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।

इस स्तर पर एक अन्य जनरल का उल्लेख करना आवश्यक है।

पावर ऑफ अटॉर्नी 08.10.1963, कथित तौर पर वादी द्वारा उसके भाई गुरदियाल सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया। यदि वादी द्वारा अन्य लोगों के साथ इस तरह के वकील की शक्ति पहले ही निष्पादित की जा चुकी थी, तो वर्ष 1990 में एक और वकील की शक्ति को निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादी का पता-जोगिंदर रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पावर ऑफ अटॉर्नी में कौर का गलत उल्लेख 775, विकास कुंज/विकास पुरी, दिल्ली के रूप में किया गया था, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी में गलत पते का उल्लेख करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है।

इस तर्क में योग्यता है कि एक काल्पनिक पता जानबूझकर डाला गया था ताकि कोई तीसरा व्यक्ति वादी से संपर्क भी न कर सके।

इसके अलावा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दो बिक्री विलेखों की सत्यता को स्वीकार करने के लिए नीचे दी गई विद्वान अदालतों द्वारा बलकार सिंह पीडब्लू 4 की गवाही पर निर्भरता स्पष्ट रूप से गलत है। यह इस कारण से है कि यह रिकॉर्ड की बात है कि पीडब्लू 4 बलकार सिंह प्रतिवादी रतन सिंह को अच्छी तरह से जानते थे। पीडब्लू 4 ने गवाही दी है कि वह रतन सिंह को स्कूल से जानता था। पीडब्लू 4 के रजिस्टर में प्रविष्टियों का क्रम, के बारे में संदेह पैदा करता है

विचाराधीन दस्तावेजों का निष्पादन। पीडब्लू 4 ने गवाही दी है कि जब भी वह कोई दस्तावेज़ लिखते हैं, तो वह अपने रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करते हैं और दस्तावेज़ उस क्रम में दर्ज किए जाते हैं जिसमें वे उन्हें लिखते हैं। यह रिकॉर्ड की बात है कि बिक्री विलेख दिनांक 29.06.1990 के संबंध में प्रविष्टि क्रम संख्या 388 पर लिखी गई है, जो कि 28.06.1990 पर लिखे जाने का दावा किए गए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में संख्या 390 पर प्रविष्टि से पहले है। रतन सिंह की पत्नी हरचरण कौर के पक्ष में वादी द्वारा निष्पादित की जाने वाली एक और विशेष शक्ति है। जहां तक तारीख '28' का संबंध है, पावर ऑफ अटॉर्नी की तारीख में कटौती की गई है। ..... उक्त गवाह को उनके वकील को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के कारण अपीलार्थी के अनुसार शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था।

..... यदि वादी उक्त बिक्री विलेखों के निष्पादन के लिए उपलब्ध हो सकती है, तो यह तर्क के लिए खड़ा नहीं है कि उसने कभी भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को क्यों निष्पादित किया होगा हरचरण कौर। उक्त बिक्री विलेखों के अनुसार, विचाराधीन भूमि थी

उनका स्थानांतरण उनके सौतेले भाइयों गुरदियाल सिंह और रतन सिंह को कर दिया गया।

.....

दिनांकित बिक्री विलेख के सत्यापित करने वाले गवाह 29.06.1990

उनकी जांच नहीं की गई। यह दोहराया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों पर चर्चा केवल वादी-जोगिंदर कौर पर की गई धोखाधड़ी को सामने लाने के लिए की गई है।

32. निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की सराहना करने के लिए, हम

सबसे पहले यह देखना होगा कि सबूत की जिम्मेदारी किस पर है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि विवादित दस्तावेज पंजीकृत हैं। इसलिए, हम इस तय किए गए कानूनी सिद्धांत द्वारा निर्देशित हैं कि एक दस्तावेज़ को वास्तविक माना जाता है यदि वह पंजीकृत है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह और अन्य मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। वी. बीरबल और Ors.[3]। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

" 27. एक धारणा है कि एक पंजीकृत दस्तावेज वैध है

निष्पादित किया। इसलिए, एक पंजीकृत दस्तावेज, प्रथम दृष्टया,

कानून में वैध हो। इस प्रकार, सबूत की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जो

अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत देता है। तत्काल मामले में,

प्रत्यर्थी 1 उक्त अनुमान का खंडन करने में सक्षम नहीं है।

(जोर दिया गया)

इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामलों में, प्रारंभिक जिम्मेदारी थी -

वादी, जिसने कथित पंजीकृत दस्तावेज़ को चुनौती दी थी।

33. जो भी हो, यह जाँचने से पहले कि क्या वादी

उस दायित्व का निर्वहन करते हुए और इस प्रकार इसे प्रतिवादियों पर स्थानांतरित करते हुए, हम दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण के लिए निर्धारित प्रक्रिया पर ध्यान दे सकते हैं। इस संबंध में, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 9 की धारा 68 का उल्लेख करते हैं। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 68.- कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण

प्रमाणित किया। यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो यह साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक गवाह को प्रमाणित नहीं किया जाता है

अपने निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है, यदि जीवित एक प्रमाणक गवाह बनें, और प्रक्रिया के अधीन

न्यायालय और साक्ष्य देने में सक्षमः

बशर्ते कि सत्यापन बुलाना आवश्यक नहीं होगा

किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण में गवाह, नहीं किया जा रहा है

एक वसीयत, जो के अनुसार पंजीकृत की गई है

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधान,

जब तक कि इसका निष्पादन उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जिसके द्वारा यह अभिप्रेत है जिन्हें फांसी दी गई है, उन्हें विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है।

(जोर दिया गया)

8 (2006) 5 एस. सी. सी. 353 9 संक्षेप में, "1872 का अधिनियम" रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

34. 1990 के जी. पी. ए. और बिक्री विलेखों के निष्पादन के रूप में

वर्तमान मामलों को वादी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह विवादित दस्तावेजों के सत्यापन करने वाले गवाहों से पूछताछ करे ताकि उसके निष्पादन न होने के बारे में उसके आरोप को स्थापित किया जा सके। क्योंकि, दस्तावेज़ों को 29.06.1990 पर पंजीकृत किया गया था और तेजा सिंह लम्बेरदार और गुरचरण सिंह द्वारा सत्यापित किया गया था। हालांकि, दोनों प्रमाणक गवाहों से पूछताछ नहीं की गई। वास्तव में, तेजा सिंह की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन गुरचरण सिंह की उपलब्धता के बारे में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार, अब हमें 1872 के अधिनियम की धारा 69 का विज्ञापन करना चाहिए जो सबूत प्रदान करती है जब नहीं

प्रमाणित करने वाला गवाह मिल जाता है। उसी को नीचे निकाला गया हैः

" 69.- सबूत जहाँ कोई प्रमाणक गवाह नहीं मिला। - अगर ऐसा नहीं है।

प्रमाणित करने वाला गवाह पाया जा सकता है, या यदि दस्तावेज़ का उद्देश्य है

कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह का प्रमाणन उसके में है हस्ताक्षर, और यह कि निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

दस्तावेज़ उस के हाथ में लिखा हुआ है

व्यक्ति "।

35. तथ्य यह है कि विषय दस्तावेज वादी द्वारा निष्पादित किए गए थे

और तेजा सिंह द्वारा सत्यापित पी. डब्ल्यू. 4 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड से स्थापित किया गया है। तेजा के हस्ताक्षर

सिंह की पहचान डी. डब्ल्यू. 2 द्वारा की गई थी, जिसने अपदस्थ किया कि वह उर्दू भाषा से परिचित था और तेजा सिंह के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता था, जो उर्दू भाषा में था। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू. 4 ने अपदस्थ कर दिया कि वह तेजा सिंह को भूमि राजस्व का भुगतान करता था और उनसे रसीदें प्राप्त करता था। इसके अलावा, हस्तलेखन विशेषज्ञ (डी. डब्ल्यू. 7) ने तेजा सिंह के स्वीकृत हस्ताक्षरों की तुलना विवादित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षरों से की थी और कहा था कि इस पर उनके हस्ताक्षर थे, जबकि वादी द्वारा पी. डब्ल्यू. 10 के रूप में पेश किए गए विशेषज्ञ ने तेजा सिंह के स्वीकृत हस्ताक्षरों की जांच नहीं की थी। इसलिए, तेजा सिंह के हस्ताक्षर विशेषज्ञ (डी. डब्ल्यू. 7) की राय के अनुसार साबित हुए और डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 4, स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि की गई।

36. अब हम उपयोगी रूप से उक्त अधिनियम की धारा 71 का विज्ञापन कर सकते हैं,

जिसमें लिखा हैः

" 71.- गवाह को प्रमाणित करते समय सबूत फांसी से इनकार करता है। अगर

प्रमाणक गवाह के निष्पादन से इनकार करता है या याद नहीं करता है

दस्तावेज़, इसके निष्पादन को अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

37. यहाँ, वादी के गवाह का साक्ष्य-पीडब्लू 4 सहायता के लिए आता है

प्रतिवादियों में से वही खुलासा करते हैं कि बताए गए दस्तावेज [2020] 12 एस. सी. आर. थे।

वादी के निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया था और सत्यापित करने वाले गवाहों की उपस्थिति में उसके द्वारा विधिवत निष्पादित किया गया था।

38. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पीडब्लू4 के साक्ष्य पर भरोसा किया था। उच्च न्यायालय, हालाँकि, अनुमानों और अनुमानों पर आगे बढ़े और एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जो विकृत और कमजोर है। उस आधार पर, जिस पर उच्च न्यायालय

पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह प्रतिवादी नंबर 4 को अपने स्कूल के दिनों से जानता था। हम स्वयं वादी द्वारा जांची गई गवाह की विश्वसनीय गवाही की अवहेलना करने के लिए एक सही दृष्टिकोण नहीं पाते हैं (उसे शत्रुतापूर्ण गवाह घोषित किए बिना) और विशेष रूप से जब यह रिकॉर्ड पर आया था कि उक्त लेखक तहसील परिसर, दसूया में एक नियमित विलेख लेखक है। विशेष रूप से, पीडब्लू4 को वादी के कहने पर शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया था और इस तरह, उसकी गवाही का यह हिस्सा वादी को घूर रहा होगा।

39. वादी ने तब तर्क दिया था कि यह साबित करने का बोझ प्रतिवादियों पर होगा कि धोखाधड़ी की कोई संलिप्तता नहीं है क्योंकि उन्हें वादी का सक्रिय विश्वास प्राप्त है। सक्रिय विश्वास की उपस्थिति स्थापित करने के लिए, वादी ने डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 4 की गवाही पर भरोसा किया, जबकि यह इंगित करते हुए कि प्रतिवादी संयुक्त विश्वास की खेती कर रहे थे।

भूमि। वादी ने यह भी तर्क दिया कि यह उसकी अनुमति से था। यह तथ्य कि वह प्रतिवादियों के साथ मुलाकाती शर्तों पर थी, दोनों पक्षों के बीच विश्वास और कठोरता के अस्तित्व को भी दर्शाता है। 40. निचली अदालत ने वादी पर सबूत का प्रारंभिक बोझ उचित रूप से डाल दिया था क्योंकि यह उसका मामला था कि विषय दस्तावेज थे

हस्ताक्षर करें। पहले अपीलीय न्यायालय ने उस पहलू पर विस्तार से नहीं बताया। यह मानते हुए भी कि बोझ प्रतिवादियों पर स्थानांतरित हो गया था, प्रतिवादियों द्वारा मृत प्रमाणक गवाह के हस्ताक्षर की पहचान करने वाले गवाह की जांच की गई थी। इसलिए, दस्तावेज़ साबित हो गए और प्रतिवादियों द्वारा भार का विधिवत निर्वहन किया गया। 41. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में कहा कि प्रतिवादियों ने अपने सक्रिय विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग किया हैः

.....

गलत निरूपण और धोखाधड़ी। यदि साक्ष्य से आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है तो यह न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल रहेगा। रिकॉर्ड में। प्रेजेंट एक संदेहहीन बहन रतन सिंह और ओआरएस का एक स्पष्ट मामला है।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपने ही सौतेले भाइयों/भाबियों द्वारा धोखा दिया जा रहा है, जिन पर उसने अंतर्निहित विश्वास किया था। यह दुरुपयोग और दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है वादी के सौतेले भाइयों द्वारा आयोजित विश्वास की स्थिति।

प्रतिवादियों पर बोझ स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर अनिल ऋषि बनाम में संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है। गुरबख्श सिंह ", जिसमें अदालत ने कहा था कि सबूत के बोझ को स्थानांतरित करने के लिए, केवल यह दलील देने की आवश्यकता होगी कि संबंध एक प्रत्ययी है और इसे ठोस सबूत पेश करके साबित किया जाना चाहिए। सहायता निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 8. सबूत का प्रारंभिक भार वादी पर होगा क्योंकि

साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, जो निम्नानुसार हैः

" 101. सबूत का बोझ-जो कोई भी चाहता है कि कोई भी अदालत अस्तित्व पर निर्भर किसी भी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे।

जिन तथ्यों पर वे दावा करते हैं, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो वह है

उन्होंने कहा कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है।

9. उक्त प्रावधान के संदर्भ में, तथ्य को साबित करने का भार उस पार्टी पर है जो सकारात्मक मुद्दों पर काफी जोर देती है, न कि उस पार्टी पर जो इसे नकारती है। उक्त नियम अपने अनुप्रयोग में सार्वभौमिक नहीं हो सकता है और इसमें एक अपवाद हो सकता है। द. विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़े कि प्रतिवादी एक प्रबल स्थिति में था और पक्षों के बीच एक प्रत्ययी संबंध था। अपीलार्थी ने अपने लिखित बयान में किए गए उक्त अभिकथनों का खंडन और विवाद किया

शिकायत में।

10. दलील देना सबूत नहीं है, बहुत कम सबूत है। दलीलों के आधार पर मुद्दे उठाए जाते हैं। प्रतिवादी-अपीलार्थी पक्षकारों के बीच प्रत्ययी संबंध को स्वीकार या स्वीकार नहीं करता है, निर्विवाद रूप से, पक्षकारों के बीच संबंध स्वयं एक मुद्दा होगा। यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 को देखते हुए दोनों पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मुकदमा विफल हो जाएगा। इस प्रकार, आम तौर पर, सबूत का भार उस पक्ष पर होगा जो मुद्दे की पुष्टि करता है और यह सबूत में जाने के बाद, उस पक्ष पर निर्भर करता है जिसके खिलाफ, प्रश्न के समय।

यदि आगे कोई सबूत नहीं है, तो निर्णय दिया जाएगा

दोनों तरफ से जोड़ा जाए।

11. तथ्य यह है कि प्रतिवादी एक प्रमुख स्थिति में था इस प्रकार, वादी द्वारा पहली बार में ही साबित किया जाना चाहिए।

XXX

X

XX

XXX

14. लेकिन इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, इस संबंध में कथन

एक से पहले कथित प्रत्ययी संबंध स्थापित किया जाना चाहिए

की स्थिति में किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुचित प्रभाव की धारणा

सक्रिय आत्मविश्वास आकर्षित होता है। सक्रिय आत्मविश्वास का तथ्य इसे भी स्थापित किया जाना चाहिए।

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 तब लागू होगी जब न्याय होगा।

लेन-देन का विश्वास सवाल में है लेकिन तब नहीं जब वास्तविक प्रकृति

इस पर सवाल उठ रहे हैं। "सक्रिय आत्मविश्वास" शब्द इंगित करते हैं

कि पक्षों के बीच संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य।

16. इस प्रकार, बाध्यकारी हितों के निर्धारण के लिए इंगित करें या जो हैं

सक्रिय विश्वास के नियम के अंतर्गत आने वाले मामले

प्रत्ययी संबंध या सक्रिय विश्वास की स्थिति प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा अभिनिर्धारित, भार उस पर इस प्रकार होगा

उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अतः विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय,

हमारी राय में, यह मानना सही नहीं कहा जा सकता है कि इसके बिना

इसके अलावा, सबूत का भार प्रतिवादी पर होगा।

(जोर दिया गया)

42. आइए अब जांच करें कि क्या उपरोक्त आवश्यकता पूरी होती है

शर्तें। इसके अलावा, तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या। 3 और 4 संयुक्त भूमि पर खेती कर रहे थे, यह भी विवादित नहीं है। प्रतिवादी सं। 3 और 4 अपने पिता हरबंस सिंह के साथ भूमि पर खेती कर रहे थे और जारी रखा अपनी मृत्यु के बाद भी ऐसा करना। रिपोर्ट किए गए निर्णय में अंतर्निहित सिद्धांत प्रतिवादियों की सहायता के लिए आना चाहिए क्योंकि वादी साबित करने में विफल रहा था

प्रतिवादियों द्वारा विश्वास के दुरुपयोग का तथ्य।

43. इसके अलावा, वादी ने 1990 जी. पी. ए. को एक के रूप में पेश करने का प्रयास किया

संदिग्ध दस्तावेज़ में कहा गया है कि रतन सिंह और ओआरएस के संबंध में इसमें विसंगतियाँ थीं।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पता और निष्पादन की तारीख में परिवर्तन। सत्यापित करने वाले गवाह की अनुपस्थिति में और पी. डब्ल्यू. 4 लेखक के साक्ष्य को देखते हुए, यह वादी का काम था कि वह पी. डब्ल्यू. 4 को शत्रुतापूर्ण घोषित करे और उससे जिरह करे।

यह साबित करने का आदेश कि उसने झूठा बयान दिया था, जो वादी करने में विफल रहा था।

44. पी. डब्ल्यू. 4 लेखक के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों पर जोर दिया गया था जिसमें 1990 के जी. पी. ए. को बिक्री विलेख से पहले निष्पादित किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि पहले जी. पी. ए. देने और फिर बिक्री विलेख को निष्पादित करने में कोई तर्क नहीं है यदि वादी उपरोक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध था। हालाँकि, वादी के लिए इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि 1990 का जी. पी. ए. उसकी सभी भूमि जोतों के संबंध में था, जबकि बिक्री केवल कल्याणपुर गाँव में स्थित भूमि के संबंध में की गई थी।

45. दूसरा कारण उच्च न्यायालय के साथ तौला गया कि 1990 जी. पी. ए. को वादी द्वारा कथित रूप से निष्पादित किया गया था क्योंकि वह एक महिला होने के नाते भी

इसका कोई परिणाम नहीं हुआ क्योंकि 'एक महिला होने के नाते' शब्दों से पहले 'मैं बूढ़ा हूँ' लिखा था।

और कमजोर '। इस प्रकार, 1990 के जी. पी. ए. को निष्पादित करने का प्राथमिक कारण यह था कि वादी प्रासंगिक समय पर पंजाब में नहीं रह रही थी और वह बूढ़ी और कमजोर थी, और इस प्रकार पंजाब में स्थित अपनी संपत्ति की देखभाल करने में असमर्थ थी। इस तथ्य पर जोर दिया गया कि एक महिला

इसलिए, उसके स्थान पर नियुक्त किया जाना अनुमानों और अनुमानों का विषय है।

46. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह तर्क कि 1990 के जी. पी. ए. के साथ-साथ बिक्री विलेखों का पंजीकरण प्रभावित हुआ था

वादी का प्रतिरूपण करना साबित नहीं हुआ है। इस संबंध में कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं मिले हैं। यह केवल वादी द्वारा स्थापित एक गंजा याचिका है। 47. वादी द्वारा सत्यापित करने वाले गवाहों से परिचित होने से इनकार करना भी एक चाल है और वास्तविक नहीं है। क्योंकि, सत्यापित करने वाले गवाहों में से एक तेजा सिंह गाँव का लैम्बरदार था। एक लैम्बरदार का काम भूमि के संबंध में राजस्व एकत्र करना और रसीदें जारी करना है और एक अभ्यास के रूप में, लैम्बरदार को दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए बुलाया जाता है। इस प्रकार, जब वादी अक्सर गाँव जाता था, तो तेजा सिंह को जानने से उसका इनकार दूर की बात है। यही दो न्यायालयों की राय थी और एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था। यह दूसरी अपील के दायरे से बाहर है, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्य गुप्ता (श्रीमती) उर्फ मधु गुप्ता बनाम. बृजेश कुमार 1 1. उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिया गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16. शुरुआत में, हम यह इंगित करना चाहेंगे कि तथ्यों की अंतिम अदालत के रूप में निचली अपीलीय अदालत द्वारा तथ्यों पर निष्कर्ष, साक्ष्य की सराहना पर आधारित हैं और इसे विकृत या बिना किसी साक्ष्य के आधार पर नहीं माना जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने के बाद और यह पाए बिना कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा किए गए निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं थे, तथ्यों पर निष्कर्षों को इस आधार पर उलट दिया कि उसके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी तथ्यों पर एक संभावित दृष्टिकोण था। उच्च न्यायालय, यह अच्छी तरह से तय है, धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल इस आधार पर कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पाए गए तथ्यों पर, निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को उलट नहीं सकता है।

एक और दृष्टिकोण संभव था।

दिनांकित 03.07.1990 बिक्री विलेख के संबंध में धोखाधड़ी

48. यहां तक कि दिनांकित 03.07.1990 बिक्री विलेख के संबंध में, वादी ने जोर देकर कहा था कि उसे उसके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था। तब यह तर्क दिया गया कि बिक्री का प्रतिफल उसे नहीं दिया गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिक्री विलेख उसके द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था। वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 की गवाही पर भरोसा किया, जिसमें उसने कहा था कि

प्रतिवादियों को धन की आवश्यकता थी और उन्होंने संयुक्त भूमि पर ऋण लिया था, यह साबित करने के लिए कि प्रतिवादियों के पास बिक्री का भुगतान करने का कोई साधन नहीं था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि गवाह अनूप सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) की गवाही पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह वादी की पहचान करने में विफल रहे।

49. इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने दावा किया था कि बिक्री

उनकी माँ की एक और भूमि बेचकर प्राप्त बिक्री आय में से प्रतिफल का विधिवत भुगतान किया गया था। प्रतिवादियों ने लेखक (पी. डब्ल्यू. 4) और डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही पर भरोसा किया।

50. ट्रायल कोर्ट ने डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही का विश्लेषण किया और कहा कि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वादी उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था। उनके पास था

उस बिक्री विलेख को वादी द्वारा उसकी उपस्थिति में निष्पादित किया गया था और यह रुपये की राशि के लिए था। 86,000 / - . यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि हालाँकि गवाह वादी की तस्वीरों की पहचान करने में विफल रहा, लेकिन प्रतिकूल

निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बिक्री विलेख वर्ष 1990 में निष्पादित किया गया था जबकि साक्ष्य वर्ष 2007 में दिया गया था।

51. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वादी ने बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं किया होता यदि उसे बिक्री पर विचार प्राप्त नहीं होता।

रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

52. उच्च न्यायालय एक बार फिर विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण से विचलित हो गया और अभिनिर्धारित किया कि डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही कथित बिक्री विलेख को साबित करने के लिए प्रतिवादियों के लिए कोई उपयोगी नहीं थी। क्योंकि, उसे वादी को विचार पारित करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, प्रतिवादी वादी को प्रतिफल राशि सौंपने के तथ्य को साबित करने में विफल रहे थे। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 4 और डी. डब्ल्यू. 3 ने एक-दूसरे की उपस्थिति से इनकार किया। उच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

.....

..... डी. डब्ल्यू. 3 अनूप सिंह की गवाही, जो दिनांकित 03.07.1990 के बिक्री विलेख के सत्यापित करने वाले गवाहों में से एक है, बेहद कहने वाली है।

मामले के तथ्य। डी. डब्ल्यू. 3 ने हालांकि कहा कि विचाराधीन बिक्री विलेख जोगिंदर कौर को उनकी उपस्थिति में पढ़ा गया था और अन्य गवाह तेजा सिंह, लैम्बरदार की उपस्थिति में नहीं पढ़ा जा सका।

यहाँ तक कि वादी की पहचान भी करें। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उसकी गवाही प्रतिवादियों के लिए दिनांकित बिक्री विलेख साबित करने के लिए उपयोगी नहीं है।

03.07.1990 . उन्हें इस मामले में विचार के पारित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डी. डब्ल्यू. 6 रतन सिंह ने दावा किया है कि लुधियाना के गुरचरण सिंह मौजूद थे। डी. डब्ल्यू. 3 और डी. डब्ल्यू. 6 ने निष्पादन के समय एक-दूसरे की उपस्थिति से इनकार किया है

बिक्री विलेख। ..... "

53. डी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य का विश्लेषण करने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि चूंकि बिक्री विलेख के लिए दो गवाहों द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होती है, जैसा कि चर्चा की गई है। ऊपर, इसे 1872 के अधिनियम की धारा 68 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साबित करना होगा।

54. 03.07.1990 के बिक्री विलेख को तेजा सिंह लम्बेरदार और अनूप सिंह (DW3) द्वारा सत्यापित किया गया था। सत्यापित करने वाले गवाह (डी. डब्ल्यू. 3) से पूछताछ की गई और उसने बयान दिया कि उक्त बिक्री विलेख को वादी द्वारा उसकी उपस्थिति के साथ-साथ तेजा सिंह और प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति में निष्पादित किया गया था। उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि

कि बिक्री का भुगतान सीधे घर पर किया गया था न कि उनकी उपस्थिति में। वास्तव में, वह तस्वीरों में वादी की पहचान करने में विफल रहा था।

55. हम यहाँ दामोदर बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

राजस्थान राज्य ", जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों में अतिसंवेदनशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए जहां देरी हुई है।

साक्ष्य दर्ज करना। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" 7. निष्कर्षों की शुद्धता पर विचार करने के लिए

नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा, यह देखा जाना चाहिए कि क्या

पीडब्लू 15 को सही ढंग से सच्चा और विश्वसनीय माना गया है। तो।

घटना यह है कि वह लगभग 13 वर्ष के थे और एक छात्र थे। यह घटना अक्टूबर 1990 की है। पीडब्लू 15 की जांच की गई थी

अगस्त 1997 यानी लगभग सात साल बाद। इसे खोया नहीं जा सकता।

स्मृति और सूक्ष्म विवरण दृष्टि खो देते हैं। इसमें पृष्ठभूमि में, यह कहा गया है कि यदि कोई मामला साबित हो जाता है

पूरी तरह से यह तर्क दिया जाता है कि यह कृत्रिम है। अगर कोई मामला है खामियाँ अनिवार्य रूप से क्योंकि मनुष्य गलती करने के लिए प्रवण हैं, यह

तर्क दिया जाता है कि यह बहुत अपूर्ण है। जबकि, इसलिए, मूल्यांकन साक्ष्य को वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए न कि अपनाना चाहिए

अतिसंवेदनशील दृष्टिकोण। तथाकथित विसंगतियाँ इंगित करती हैं

वाहन की तरह अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा जिसे गवाह ने आने वाली बस को देखा या किस हिस्से के साथ देखा

साइकिल पर हमला करने वाला वाहन बहुत छोटा है जो इसे प्रभावित नहीं कर सकता है

पीडब्लू 15 के साक्ष्य की विश्वसनीयता। इन छोटे को छान रहे हैं

विसंगतियाँ, सबूत की क्रीम बनी हुई है जिस पर

साक्ष्य के मूल्यांकन पर नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामलों में, विवादित दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था

वर्ष 1990 और डी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य 17 वर्षों के बीतने के बाद वर्ष 2007 में दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई थी, उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य पर गलती से

संदेह किया क्योंकि वह वादी की तस्वीरों की पहचान नहीं कर सका और क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 और डी. डब्ल्यू. 3 ने एक-दूसरे की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया था। निष्पादन का समय।

56. जो भी हो, उक्त बिक्री विलेख के संदर्भ में,

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपदस्थ किया कि वह 03.07.1990 पर बिक्री विलेख के निष्पादन के समय मौजूद था जिसे वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 और स्वयं के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उन्होंने कहा कि तेजा सिंह और

गुरचरण सिंह भी उपस्थित थे।

रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

57. डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही की अवहेलना करने में उच्च न्यायालय की राय की शुद्धता की जांच करना (इस आधार पर कि वह नहीं कर सकता था)

वादी की पहचान करें और यह कि प्रतिवादी संख्या 4 और डी. डब्ल्यू. 3 ने एक-दूसरे की उपस्थिति से इनकार किया है), हम संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के तहत 'सत्यापित' की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं जो नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

" 3.- व्याख्या खंड। इस अधिनियम में, जब तक कि

विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय,

“ अनुदेश के संबंध में "सत्यापित" का अर्थ है और होगा

माना जाता है कि हमेशा दो या दो से अधिक द्वारा सत्यापित किया गया है

गवाह जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक चिन्ह देखा है या

उसके हस्ताक्षर या चिह्न, या के हस्ताक्षर की स्वीकृति ऐसा अन्य व्यक्ति, और जिनमें से प्रत्येक ने हस्ताक्षर किए हैं

निष्पादक की उपस्थिति में उपकरण; लेकिन यह नहीं होगा

यह आवश्यक होगा कि ऐसे गवाहों में से एक से अधिक

एक ही समय में उपस्थित था, और प्रमाणन का कोई विशेष रूप नहीं था

यह आवश्यक होगा।

(जोर दिया गया)

58. विवादित बिक्री विलेख दिनांक 03.07.1990 पर वादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे

विक्रेता के रूप में और प्रतिवादी संख्या 3 विक्रेता के रूप में और डी. डब्ल्यू. 3 की उपस्थिति में

और दूसरा प्रमाणक गवाह तेजा सिंह। डी. डब्ल्यू. 3 ने एक प्रमाणक गवाह के रूप में वादी और प्रतिवादी संख्या 3 दोनों को विलेख पर हस्ताक्षर करते देखा था और फिर उन्होंने बिक्री विलेख को सत्यापित किया था। उच्च न्यायालय इस बात पर भी ध्यान देने में विफल रहा कि दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह की मृत्यु हो गई है और उसके हस्ताक्षर की पहचान डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 4 द्वारा की गई है, और पी. डब्ल्यू. 4 लेखक की गवाही के साथ, डी. डब्ल्यू. 3 गवाह के साक्ष्य की पुष्टि हुई है और इसलिए, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

59. जगदीश चंद शर्मा बनाम। नारायण सिंह सैनी (मृत)

कानूनी प्रतिनिधियों और Ors.[1]3 13 के माध्यम से, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 57.1 . आधार में देखे जाने पर, 1872 के अधिनियम की धारा 71 को आवश्यक रूप से एक सख्त व्याख्या दी जाए। इन दोनों

इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति देने वाली आकस्मिकताएँ, अर्थात्, इनकार या सत्यापन द्वारा निष्पादन को याद रखने में विफलता

प्रस्तुत किया गया गवाह, इस प्रकार एक किले को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अर्थ का विस्तार करना होगा कि द्वारा दी गई सीमित स्वतंत्रता

1872 के अधिनियम की धारा 71 किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 63 और 1872 के अधिनियम की धारा 68 के सार और प्रभावकारिता को समाप्त या कम नहीं करती है। वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को साबित करने में एक प्रमाणक गवाह की विफलता और उक्त घटना से उसका इनकार या उसे याद करने में विफलता के बीच का अंतर अनिवार्य रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। इन दो शर्तों के लिए अतिरिक्त उदार लचीलेपन की अनुमति देने वाला कोई भी अनुचित हस्तक्षेप, अधिनियम की धारा 63 और 1872 के अधिनियम की धारा 68 की भविष्यवाणी को अनुचित बना देगा। द.

धारा 71 के लाभ के लिए प्रोपाउंडर शुरू किया जा सकता है 1872 का अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब सत्यापित करने वाला गवाह/गवाह, जो जीवित है/हैं और प्रस्तुत किया जाता है और स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार/इनकार कर सकता है या नहीं कर सकता है।

उक्त घटना को याद करें। न केवल, इस गवाह/गवाह को विश्वसनीय और निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दस्तावेज़ के निष्पादन के बिना हिचकिचाहट इनकार को प्रदर्शित करना चाहिए या ऐसे तथ्य की वास्तविक भूल को प्रमाणित करना चाहिए। यदि गवाही सत्य की अवहेलना करने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन और सत्यापन का एक आकस्मिक विवरण दर्शाती है, और इस तरह कानून के अनुसार इन दो आवश्यक बातों को साबित करने में विफल रहती है, तो प्रस्तावक को 1872 अधिनियम की धारा 71 के आवरण के तहत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह की मंजूरी न केवल 1872 के अधिनियम की धारा 68 के साथ पठित अधिनियम की धारा 63 की योजना के साथ असंगत होगी, बल्कि सर्वोपरि और सर्वोपरि भी समाप्त हो जाएगी।

प्रोपाउंडर स्वाभाविक रूप से बेकार है और विश्वसनीयता में कमी है, 1872 के अधिनियम की धारा 71 का उपयोग उसे (प्रोपाउंडर को) स्थिति से बाहर निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है ताकि वह भटक सके। पीछा करना। समग्र दृष्टिकोण में सच्चाई और वास्तविकता के किसी भी स्पर्श के अभाव में, इस प्रावधान को, जो अधिनियम की धारा 63 (सी) और 1872 अधिनियम की धारा 68 का विकल्प नहीं है, इस तरह के असफल सट्टा प्रयास के पूरक के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

60. यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने विक्रेता होने के बावजूद बिक्री पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अलोका बोस बनाम। परमात्मा देवी और 4, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ई-विलेख में विक्रेता का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निकाला जाता है।

इंदौरः

" 18. बिक्री के किसी भी समझौते में, शर्तों पर हमेशा बातचीत की जाती है और उसके बाद बिक्री के समझौते के रूप में कम किया जाता है और

दोनों पक्षों या अकेले विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित (जब तक कि यह पत्रों या मान्यता प्राप्त संचार के अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों की एक श्रृंखला द्वारा न हो)। भारत में, केवल विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित और खरीदार को वितरित बिक्री का एक समझौता, और द्वारा स्वीकार किया गया खरीदार को हमेशा एक वैध अनुबंध माना गया है। विक्रेता द्वारा उल्लंघन की स्थिति में, इसे खरीदार द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। हालांकि, खरीदार की कोई प्रथा नहीं है।

अकेले बिक्री के समझौते पर हस्ताक्षर करना।

19. प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि बिक्री का समझौता

यह मामला (एक्स. 2) स्पष्ट रूप से एक ऐसे प्रपत्र में था जिसमें विक्रेता और खरीदार दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी। यह बताया गया है कि

समझौता इस प्रकार शुरू होता हैः " कनिका बोस के बीच बिक्री का समझौता

और परमात्मा देवी "और न कि" कनिका बोस द्वारा परमात्मा देवी के पक्ष में निष्पादित बिक्री समझौता "। हमारा ध्यान समझौते के प्रशंसापत्र खंड (दस्तावेज़ के अंत में प्रावधान जो बताता है कि कब और किसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार हैः

" गवाहों में, यहाँ पक्षकारों ने इन पर अपने-अपने हाथ और मुहरें लगा दी हैं और उनकी सदस्यता ली है

उपहार "।

इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि समझौता विशेष रूप से

दोनों पक्षों द्वारा विचारित निष्पादन; और चूंकि इसे इस तरह से निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए यह अधूरा और अप्रवर्तनीय था।

जिसकी फोटोकॉपी बनाई जाती है। समझौते में प्रशंसापत्र का हिस्सा एक पुरातन रूप में है जो अपना अर्थ खो चुका है। पार्टियाँ अब "अपने-अपने हाथों और मुहरों की सदस्यता न लें"। यह सच है कि प्रारूप स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने पर विचार करता है।

लेकिन यह स्पष्ट है कि पक्षों का इरादा था कि यह होना चाहिए

केवल विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर पर पूरा करें। इस बात से पता चलता है कि तथ्य यह है कि दस्तावेज़ विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित है और विधिवत गवाह है

चार गवाहों द्वारा और खरीदार को सौंप दिया गया। इसके अलावा

समझौते की तारीख को ही किया गया एक अलग समर्थन

(7-9-1979) विक्रेता द्वारा 2001 रुपये की रसीद स्वीकार करते हुए

अग्रिम के रूप में, इसमें एक दूसरा समर्थन भी शामिल है (जो यह भी है

विधिवत गवाह) विक्रेता द्वारा 10-10-1979 पर बनाया गया, स्वीकार करते हुए 2000 रुपये की अतिरिक्त राशि की प्राप्ति और यह पुष्टि करना कि

प्राप्त कुल बकाया राशि 4001 रुपये थी। इससे पता चलता है कि खरीदार ने समझौते के अनुसार स्वीकार किया और कार्य किया जो

हस्ताक्षर किए गए, गवाही दी गई और उसे पूरी तरह से वितरित किया गया उपकरण और यह कि उसने तब उस पर एक समर्थन प्राप्त किया

विक्रेता, दूसरे भुगतान के संबंध में। अगर समझौता हुआ तो पूरा नहीं हुआ तो विक्रेता को और राशि नहीं मिली होगी

और उस पर 10-10-1979 पर एक पावती का समर्थन किया।

21. उपरोक्त के अलावा, गवाहों के साक्ष्य

यह भी दर्शाता है कि एक अनुबंध संपन्न हुआ था। इसलिए, भले ही मसौदा तैयार करने वाला जिसने समझौता तैयार किया था

दोनों द्वारा निष्पादन के लिए एक प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है

विक्रेता और खरीदार, जिस तरह से पक्षों के पास था

आगे बढ़े, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि इसका इरादा था

केवल विक्रेता द्वारा निष्पादित किया जाता है।

केवल विक्रेता द्वारा मान्य और लागू करने योग्य था खरीदार "।

(जोर दिया

गया)

61. चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 ने बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

बदले में, उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, डी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य का भार अनुपलब्ध रहता है। इसलिए, डी. डब्ल्यू. 3 की गवाही एक वैध प्रमाणन के लिए आवश्यक शर्तों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

62. वादी ने यह भी कहा कि उसे प्राप्त नहीं हुआ था

कथित लेन-देन के संबंध में विचार और यह कि प्रतिवादियों के पास प्रतिफल का भुगतान करने का कोई साधन नहीं था। यह रिकॉर्ड में आया है कि प्रतिवादियों ने कई बार संयुक्त भूमि को गिरवी रखा था क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 4 ने जमीन को गिरवी रखने की बात स्वीकार करने के बाद कहा था कि उसने उस पैसे का इस्तेमाल ट्यूबवेल रतन सिंह और ओआरएस लगाने के लिए किया था।

और ट्रैक्टर खरीदें। उक्त तथ्य निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करता है कि उनके पास धन नहीं था क्योंकि उक्त ऋण संयुक्त भूमि पर निवेश करने के लिए प्राप्त किए गए थे न कि प्रतिवादी संख्या 4 की व्यक्तिगत संपत्ति पर। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 4 ने बयान दिया था कि बिक्री का भुगतान गांव अशरफपुर में उनकी मां की जमीन बेचकर प्राप्त बिक्री आय से किया गया था। चूँकि सत्यापित करने वाले गवाह ने बिक्री विलेखों के निष्पादन को साबित कर दिया था, इसलिए वादी पर प्राथमिक जिम्मेदारी थी अभियुक्तों के पास स्थानांतरित नहीं किया गया। इसके अलावा, वादी भुगतान के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य का खंडन करने के लिए बाध्य था।

63. एक प्राथमिकता के रूप में, हम मानते हैं कि 1990 के जी. पी. ए. और 29.06.1990 दिनांकित बिक्री विलेखों पर विवाद करने में वादी द्वारा आग्रह किए गए विविध आधार और 03.07.1990 जैसा कि अब तक देखा गया है, अप्रमाणित और असमर्थनीय हैं।

विशेषज्ञ की राय

64. वादी ने एक हस्तलेखन विशेषज्ञ, जेसी द्वारा विवादित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की तुलना में उसके हस्ताक्षर स्वीकार कराए।

(डी. डब्ल्यू. 7), जिन्होंने निर्धारित किया था कि विवादित हस्ताक्षर स्वयं वादी द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। 65. निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत ने विशेषज्ञों की विपरीत राय पर विचार नहीं किया था और अपनी राय बनाने का फैसला किया था

रिकॉर्ड पर आए अन्य सबूतों के आधार पर। हमारी राय में, वादी के हस्ताक्षर के संदर्भ में वादी द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ साक्ष्य अलग-अलग राय को देखते हुए कोई लाभ नहीं है। यह आधार कि दस्तावेज़ नकल की गई जालसाजी का परिणाम थे, केवल विशेषज्ञ (पीडब्लू10) की राय के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, विशेषज्ञ राय साक्ष्य का एक बाध्यकारी टुकड़ा नहीं है और होना चाहिए

सबूत के अन्य टुकड़ों के साथ पुष्टि की। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वादी यह साबित करने में विफल रही कि विषय दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर जाली हैं।

1963 जीपीए को चुनौती नहीं दी गई

66. इसके अलावा, 1963 के जी. पी. ए. का पता [2020] 12 एस. सी. आर. प्राप्त करने के बाद वादी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान लगने का दावा किया जाता है।

धोखाधड़ी का ज्ञान। हालाँकि, उक्त जी. पी. ए. को वादी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त जी. पी. ए. को चुनौती नहीं देने का कारण यह बताया गया है कि दस्तावेज़ 30 साल पुराना होने के कारण इसे चुनौती नहीं दी जा सकी।

67. निचली अदालत ने कहा था कि वादी अपने क्रूस पर

जाँच, 1963 जी. पी. ए. के साथ सामना करने पर टालमटोल जवाब दिया, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें 1963 में उनके पिता की मृत्यु के बाद तहसील कार्यालय ले जाया गया था। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि वादी ने 1963 के जी. पी. ए. को निष्पादित किया था और आगे उसे उस जी. पी. ए. के अनुसरण में उत्परिवर्तन की मंजूरी का ज्ञान था। निचली अदालत के फैसले का पैराग्राफ 45 नीचे दिया गया हैः

उसकी प्रतिपरीक्षा कि हरबंस सिंह की मृत्यु के बाद, उसे तहसील कार्यालय ले जाया गया और जब उसे वह पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया गया जिस पर विभिन्न बिंदुओं पर उसके हस्ताक्षर हैं, तो वह टालमटोल जवाब दिया। "

68. प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी।

69. चूँकि 1963 का जी. पी. ए. एक दस्तावेज है जो 30 साल से अधिक पुराना है, हम 1872 के अधिनियम की धारा 90 का विज्ञापन कर सकते हैं, जो 30 साल पुराने दस्तावेज़ के पक्ष में अनुमान का प्रावधान करता है। उसी को नीचे निकाला गया हैः

" 90.- तीस साल पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान। - जहां तीस वर्ष पुराना होने का तात्पर्य रखने वाला या साबित होने वाला कोई दस्तावेज किसी ऐसी अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है जिसे न्यायालय विशेष मामले में उचित समझता है, वहां न्यायालय यह मान सकता है कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का हर दूसरा हिस्सा, जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होना चाहता है, उस व्यक्ति की लिखावट में है, और निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज़ के मामले में, यह उन व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया था जिनके द्वारा वह इरादा करता है। निष्पादित और प्रमाणित किया जाए।

रतन सिंह और हमारा। वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्पष्टीकरण। - दस्तावेज़ों को उचित अभिरक्षा में कहा जाता है यदि

वे उस स्थान पर हैं जहाँ, और व्यक्ति की देखभाल में हैं

स्वाभाविक रूप से वे किसके साथ होंगे; लेकिन कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि

यह साबित होता है कि इसका मूल वैध था, या यदि परिस्थितियाँ

विशेष मामले ऐसे हैं जो इस तरह की उत्पत्ति को संभावित बनाते हैं।

यह स्पष्टीकरण धारा 81 पर भी लागू होता है।

(जोर दिया गया)

70. उपरोक्त प्रावधान 'अनुमान लगा सकता है' शब्दों को नियोजित करता है।

इस प्रकार, अब हम 1872 के अधिनियम की धारा 4 का उल्लेख कर सकते हैं ताकि उक्त अनुमान से निपटने के तरीके को देखा जा सके। वही निकाला जाता है इसके नीचेः

" 4.- " अनुमान लगा सकते हैं "। - जब भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि न्यायालय एक तथ्य का अनुमान लगा सकता है, वह या तो ऐसे तथ्य को मान सकता है -

जब तक और जब तक यह गलत साबित नहीं हो जाता है, या इसके प्रमाण की मांग की जा सकती है।

71. 30 साल पुराने दस्तावेज़ के पक्ष में अनुमान है,

इसलिए, एक खंडन योग्य अनुमान। वादी को गलत साबित करने के लिए उचित साक्ष्य का नेतृत्व करके अनुमान का खंडन करने से कुछ भी नहीं रोक सका। चूँकि वादी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए उक्त दस्तावेज़ वादी के लिए बाध्यकारी होगा। वास्तव में, पक्षों ने 1963 से बिना किसी आपत्ति के उक्त दस्तावेज़ की शर्तों पर काम किया था और इसलिए, इस दूरी पर इसे फिर से दर्ज करने के लिए खुला नहीं था।

इसलिए, निचली अदालत ने 1963 के जी. पी. ए. को एक वास्तविक दस्तावेज ठहराने में सही थी।

II. सीमा

72. वादी ने दावा किया कि वह एक पारिवारिक समारोह में शामिल हुई थी

फरवरी, 2001 में और उक्त समारोह में, जब वह एक रुस्तम सिंह के साथ बातचीत कर रही थी, तो उसने खुलासा किया कि प्रतिवादियों ने संयुक्त भूमि का एक हिस्सा बेच दिया है। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की। इस प्रकार, उन्होंने संयुक्त भूमि के जामबंदियों का निरीक्षण किया और उसके बाद विवादित दस्तावेजों के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। उक्त दस्तावेजों का पता चलने के तुरंत बाद, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। सूट हैं

ज्ञान प्राप्त करने की तारीख से 3 साल के भीतर दायर किया जाता है और इस प्रकार सीमा के भीतर होते हैं।

73. अपने मामले का समर्थन करने के लिए, वादी ने गवाही पर भरोसा किया

डी. डब्ल्यू. 3 और प्रतिवादी संख्या 4, जिसमें यह अभिलेख पर आया था कि [2020] 12 एस. सी. आर.

वादी निर्मल गिल (प्रतिवादी संख्या 1) और रुस्तम सिंह उपरोक्त समारोह में उपस्थित थे। निर्मल गिल ने पीडब्लू8 के रूप में अपनी गवाही में पदच्युत कर दिया था

कि दिसंबर, 2000 में एक पारिवारिक सभा थी जिसमें वादी ने प्रतिवादी संख्या से पूछताछ की। 5 और उत्परिवर्तन की स्थिति के बारे में 6, जिन्होंने सूचित किया कि उत्परिवर्तन तब तक प्रभावित नहीं हो सकता जब तक कि जालंधर और प्रेमगढ़ में भूमि पर अतिक्रमण हटा नहीं दिया जाता। इसके बाद,

फरवरी 2001 में एक और पारिवारिक सभा हुई जिसमें रुस्तम सिंह ने वादी को उसकी उपस्थिति में उक्त जानकारी दी थी।

74. निचली अदालत ने सीमा के मुद्दे की जांच करते हुए,

राय है कि जब 1990 में वादी द्वारा दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था, तो इसे निष्पादन के 3 साल के भीतर चुनौती दी जानी चाहिए थी। यह आगे देखा गया कि जब एक विशिष्ट याचिका ली जाती है कि वादी ने हाल ही में एक पारिवारिक समारोह में धोखाधड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो वह ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए बाध्य थी जिसने जानकारी का खुलासा किया और वादी ऐसा करने में विफल रही। विशेष रूप से, पारिवारिक समारोह की तारीख का उल्लेख निचली अदालत द्वारा गलत तरीके से दिसंबर, 2001 के रूप में किया गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 94 और 98 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 94. मुझे लर्नड द्वारा दिए गए इन तर्कों में गुण मिलते हैं।

बचाव पक्ष के वकील क्योंकि जब वादी एक विशिष्ट निर्णय ले रहा होता है

याचिका है कि दिसंबर, 2001 में किसी पारिवारिक समारोह में वह

साथ ही उनकी बेटी ने भाग लिया, यह बात उनके संज्ञान में आई

कि वकील की शक्ति जाली बनाई गई है और इसके आधार पर

कि हरचरण कौर ने अपने हिस्से के बिक्री विलेखों को निष्पादित किया था

वादी, तब उन परिस्थितियों में वादी की आवश्यकता थी

उस व्यक्ति की जाँच करें जिसने वादी को उस जानकारी का खुलासा किया था। लेकिन वादी ने उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं की है।

XXX

XXX

XXX

98. मेरी राय में, जब वादी विशेष रूप से कह रहा है कि

किसी पारिवारिक समारोह में जानकारी मिली, फिर वह थी उस व्यक्ति की जाँच करने की आवश्यकता थी जिससे उसने प्राप्त किया था

जानकारी दी। लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा,

जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि विवादित

दस्तावेजों को हरचरण कौर (जोगिंदर) द्वारा निष्पादित किया गया था। कौर [sic]) दिनांक 29.06.1990,28.06.1990,03.07.1990 पर,

तब उन परिस्थितियों में, यदि कोई धोखाधड़ी आदि की गई है

वादी द्वारा, वादी को रतन सिंह और ओ. आर. एस. दायर करने की आवश्यकता थी।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तीन साल की अवधि के भीतर मुकदमा। तो जाहिर तौर पर सूट

वादी द्वारा दायर किया गया आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है। अतः उक्त

मुद्दासभ प्रतिवादीसभक पक्षमे आ ओकर विरुद्ध तय कयल गेल अछि

वादी "।

(जोर दिया गया)

75. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में निष्कर्षों की पुष्टि की

विचारण न्यायालय ने कहा कि मुकदमों को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। ऐसा करते समय, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी गलत आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया था कि पारिवारिक समारोह दिसंबर, 2001 में आयोजित किया गया था। अंत में, पहले अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि 1990 के जी. पी. ए. को वादी द्वारा निष्पादित किया गया था, इसलिए पारिवारिक कार्य में ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न महत्व खो देता है।

76. इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि

पारिवारिक कार्य और वादी की उपस्थिति को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को पलट दिया, जबकि रुस्तम सिंह की गवाही ने वादी के मामले की पुष्टि की और यह स्पष्ट था कि वादी के पास पहले अपने भाइयों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।

और वह प्रतिवादियों के कृत्यों से भी अवगत नहीं थी। वादी द्वारा पूछताछ करने के बाद ही उक्त तथ्य सामने आए। उच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

... .

..... नीचे दी गई अदालतों ने यह अभिनिर्धारित करने में और गलती की है कि

सूट को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है। वादी का मामला यह है कि वह आई थी

उसके अपने कदम से होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जानने के लिए पंजाब में बसने के बाद भाइयों और साली

अपने पति की सेवानिवृत्ति तक और इसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई

अपने रिश्तेदारों के साथ उसकी बातचीत की आवृत्ति। उसकी शादी पैतृक चाचा के बेटे (ताया के बेटे) को डी. डब्ल्यू. 6 रतन द्वारा भर्ती कराया जाता है।

सिंह। यह आगे स्वीकार किया जाता है कि वादी उपस्थित था शादी ने कहा। रुस्तम सिंह की गवाही मामले को मजबूत करती है।

वादी का। ..... ”

(जोर दिया गया)

77. निर्णयों की शुद्धता का विश्लेषण करने से पहले,

आइए हम सीमा पर धोखाधड़ी के प्रभाव के बारे में तय कानूनी स्थिति को [2020] 12 एस. सी. आर. के रूप में देखें।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17 में विहित। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

" 17.- धोखाधड़ी या गलती का प्रभाव। - (1) जहाँ, किसी वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए सीमा की अवधि निर्धारित की गई है

यह अधिनियम,

(ए) मुकदमा या आवेदन प्रतिवादी या प्रतिवादी या उसके एजेंट की धोखाधड़ी पर आधारित है; या
(ख) उस अधिकार या अधिकार का ज्ञान जिस पर कोई मुकदमा या आवेदन स्थापित किया गया है, ऐसे किसी भी अधिकार या अधिकार की धोखाधड़ी से छिपा हुआ है।

उपरोक्त व्यक्ति; या
(ग) मुकदमा या आवेदन परिणाम से राहत के लिए है।

गलती से; या

(घ) जहां वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज को धोखाधड़ी से उससे छिपा दिया गया है,

सीमा की अवधि तब तक चलना शुरू नहीं होगी जब तक कि वादी या आवेदक धोखाधड़ी या गलती का पता नहीं लगा लेता है या उचित परिश्रम के साथ इसका पता लगा सकता है; या किसी छिपे हुए दस्तावेज़ के मामले में, जब तक कि वादी या आवेदक के पास पहले छिपाए गए दस्तावेज़ को पेश करने या इसके लिए मजबूर करने का साधन न हो। उत्पादन

(जोर दिया गया)

78. इसलिए, 1963 के अधिनियम की धारा 17 को लागू करने के लिए, दो

सामग्री का अनुरोध किया जाना चाहिए और विधिवत साबित किया जाना चाहिए। एक धोखाधड़ी का अस्तित्व है और दूसरा इस तरह की धोखाधड़ी की खोज है। वर्तमान मामले में, जब से

वादी धोखाधड़ी के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा, इसकी खोज के लिए कोई अवसर नहीं है। अतः वादी को उक्त प्रावधान के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता है।

79. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचली अदालत ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि

जिस व्यक्ति ने जानकारी का खुलासा किया है, वादी द्वारा जाँच नहीं की गई थी, जब यह कुलतार सिंह (डी. डब्ल्यू. 2) की गवाही के माध्यम से रिकॉर्ड पर आया था, कि रुस्तम सिंह की मृत्यु मुकदमे के लिए आने से पहले ही हो गई थी। यदि ऐसा है, तो उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि रुस्तम की गवाही

15 संक्षेप में, "1963 का अधिनियम" रतन सिंह और ओआरएस।

वी. निर्मल गिल एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सिंह ने दृढ़ता से कहा कि वादी का मामला पूर्व-दृष्टि से गलत और स्पष्ट रूप से गलत है। इन कार्यवाहियों में न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति से कभी पूछताछ नहीं की गई। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट और पहले अपीलीय कोर्ट ने गलती से कार्य की तारीख मान ली थी

फरवरी, 2001 के स्थान पर दिसंबर, 2001। हालाँकि, धोखाधड़ी के अस्तित्व में न होने के तथ्य पर निष्कर्ष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द.

निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए सहमतिपूर्ण निष्कर्ष-कि दस्तावेजों को वादी द्वारा निष्पादित किया गया था-वादी के मामले को झुठलाता है और ध्वस्त करता है, क्योंकि उसने 2001 में कथित धोखाधड़ी का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उस संबंध में विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की।

निष्कर्ष

80. यह तय किया जाता है कि नागरिक विवाद में आवश्यक प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है और उचित संदेह से परे नहीं है। में।

वर्तमान मामले, हालांकि 1990 के जी. पी. ए. में विसंगतियां कुछ संदेह पैदा करने के लिए बाध्य हैं, हालांकि, किसी भी ठोस सबूत के अभाव में

धोखाधड़ी की याचिका का समर्थन करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह मामले को आगे नहीं ले जाता है। बल्कि, इस मामले में प्रमाणक गवाह, लेखक और अन्य स्वतंत्र गवाहों की गवाही स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों के मामले का समर्थन करती है। वह साक्ष्य संदेह को दूर करता है और संतुलन को प्रतिवादियों के पक्ष में झुकाता है।

81. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि चूंकि वादी धोखाधड़ी के अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सका है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि मुकदमे सीमा द्वारा पूर्व-दृष्टि से वर्जित हैं।

82. बाद के खरीदारों के नाम के बारे में, चूंकि 1990 का जी. पी. ए. साबित हो गया था, इसलिए उनकी प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

83. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य की उचित रूप से सराहना की थी और यह दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण होने के कारण, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील में और वह भी अनुमानों और अनुमानों पर इसे बाधित नहीं करना चाहिए था।

परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी